



युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

United Bank of India

प्र.का. : 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

H.O. : 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700 001

वर्ष 2018-19 के लिए जमा नीति

1. प्रस्तावना

ऋण देने के उद्देश्य से जन सामान्य से जमाराशि स्वीकार करना बैंक की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। वास्तव में, सभी जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के एक बड़े हितधारक होते हैं। सभी जमाकर्ता और उनके हित, भारत में बैंकिंग के लिए नियामक ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्र को तैयार करते हैं और यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में सुनिश्चित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाराशि पर ब्याज दर तथा जमा खातों के संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करने/ सलाह देने के लिए सशक्त किया गया है। वित्तीय प्रणाली में उदारीकरण तथा ब्याज दरों में अविनियमन के साथ, बैंक अब आरबीआई द्वारा जारी व्यापक दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जमा नीति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

जमाराशि की रूपरेखा पर यह नीतिगत दस्तावेज बैंक द्वारा विभिन्न जमा उत्पादों को तैयार करने तथा खाता के संचालन को नियंत्रित करने वाली नियम एवं शर्तों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। दस्तावेज जमाकर्ताओं के अधिकारों की पहचान करता है तथा उसका उद्देश्यग्राहकों के लाभार्थ जनसामान्य, विभिन्न जमा खातों के संचालन एवं परिचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज का भुगतान, जमा खातों को बंद करने, मृत जमाकर्ताओं की जमाराशि का निपटान करने की पद्धति आदि से जमाराशि स्वीकार करने के विभिन्न पहलुओं से संबंधी सूचना का प्रसार करना है। यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज अलग-अलग ग्राहकों से व्यवहार करने में अत्यधिक पारदर्शिता प्रदान करेगा तथा ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को उनकी अधिकारपूर्ण सेवाएं बिना उनकी मांग के प्रदान की जाएं।

इस नीति को अपनाते हुए, बैंक द्वारा अपनाए गए ग्राहक के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कोड में दिए गए रूपरेखा के अनुसार बैंक प्रत्येक ग्राहक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति करता है। यह दस्तावेज एक व्यापक ढांचा है जिसके अन्तर्गत सामान्य जमाकर्ताओं के अधिकारों की पहचान की जाती है। विभिन्न जमा योजनाओं पर विस्तृत परिचालनगत अनुदेश और संबंधित सेवाएं समय-समय पर जारी की जाएंगी।

2. जमा खातों का प्रकार

हालांकि बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न जमा उत्पादों को विभिन्न नाम दिए गए हैं। जमा उत्पादों को व्यापक तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। महत्वपूर्ण जमा योजनाओं की परिभाषा इस प्रकार है:-

- i) "मांग जमा" अर्थात् बैंक द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा जमा, जिसका आहरण मांग पर किया जा सकता है;
- ii) "बचत जमा" अर्थात् एक ऐसी मांग जमा जो किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमति दी गई आहरणों की राशि और उसकी संख्या के प्रतिबंधित होने के शर्ताधीन है।

iii) “मीयादी जमा” अर्थात् बैंक द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्राप्त एक ऐसा जमा जिसका आहरण निश्चित अवधि समाप्त होने के बाद आसानी के किया जा सके और इसमें जमाराशि जैसे आवर्ती/ दोहरा लाभ जमाराशि/ पुनर्निवेश योजना/ नकदी प्रमाण-पत्र/ मासिक/त्रैमासिक ब्याज वाले मीयादी जमा आदि शामिल हैं।

iv) “सूचना जमा” अर्थात् निश्चित अवधि के लिए एक ऐसा मीयादी जमा जो एक पूर्ण बैंकिंग दिवस की सूचना देने पर आहरण करने योग्य है।

v) “चालू खाता” अर्थात् एक ऐसा प्रकार का मांग जमा, जिस पर कोई ब्याज नहीं है और जहां खाते में शेष के आधार पर या एक विशेष सहमत राशि तक कितनी भी बार आहरण करने की मंजूरी है। इसमें ब्याज रहित भुगतान प्रदान किया जाता है और इसमें अन्य जमा खातों को भी शामिल किया जाएगा जो ना तो बचत जमा हैं ना ही मीयादी जमा।

vi) विभिन्न जमा योजनाएं एवं उत्पाद।

ग्राहक की आवश्यकता, बाजार की स्थिति, प्रतिस्पर्धा और अन्य प्रेरक शक्तियों के आधार पर, बैंक वर्तमान में पांच जमा योजनाओं के अन्तर्गत 17 जमा उत्पादों को पेश कर रहा है, जो इस प्रकार सूचीबद्ध हैं:

योजनाएं / उत्पाद

बचत बैंक

1. युनाइटेड जमा बैंक
2. युनाइटेड बोनांजा जमा
3. युनाइटेड कैपिटल गेन एकाउंट (खाता-ए प्रकार)
4. युनाइटेड चिल्ड्रेन बचत खाता
5. युनाइटेड बेसिक बचत खाता

चालू जमा

1. युनाइटेड चालू जमा खाता
2. युनाइटेड बोनांजा चालू जमा खाता
3. युनाइटेड गोल्ड एंड प्लेटिनम चालू जमा खाता
4. युनाइटेड प्रिमियम चालू खाता

मीयादी जमा

1. युनाइटेड फिक्सड जमा
2. युनाइटेड टैक्स सेविंग्स इन्कॉम प्लान-मीयादी प्रकार का
3. युनाइटेड आनन्द जमा

आवर्ती जमा

1. युनाइटेड आवर्ती जमा
2. युनाइटेड फ्लेक्सी जमा

पुनर्निवेश योजना (आरआईपी)

1. युनाइटेड रिइनवेस्टमेंट प्लान
2. युनाइटेड टैक्स सेविंग्स ग्रोथ योजना - आरआईपी प्रकार का
3. युनाइटेड कैपिटल गेन्स एकाउंट्स (खाता-बी प्रकार)

विभिन्न जमा उत्पादों की विशिष्ट सुविधाएं एवं लक्ष्य समूह संक्षेप में परिशिष्ट-ए में उल्लिखित है।

ग्राहक की आवश्यकता, बाजार की आवश्यकता या विनियामक अनुदेशों को पूरा करने के लिए, बैंक अपने विवेकाधिकार से सभी वर्ग के ग्राहकों के अनुकूल विभिन्न नए जमा उत्पाद तैयार कर सकता है, जिसकी जांच आस्ति-देयता समिति (एलको) द्वारा की जाएगी और समय-समय पर उसे लागू किया जा सकता है।

vii) गैर-निवासी खाते

गैर-निवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति हमारी किसी भी 'बी' या 'सी' वर्ग के प्राधिकृत डीलर शाखाओं में जमा खाता खोल सकते हैं जैसे- नॉन-रेसिडेन्ट आर्डिनरी रुपी एकाउंट (एनआरओ), नॉन-रेसिडेन्ट (बाहरी) रुपी एकाउंट (एनआरई), फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेन्ट (बैंक) एकाउंट (एफसीएनआर) (बी)। भारत के बाहर का निवासी कोई भी व्यक्ति, जिसकी भारत में व्यवसाय करने की रुचि हो, वह रुपये में बोनाफाईड लेनदेन के प्रयोजनार्थ खोली गई शाखाओं में भारतीय रुपये में स्पेशल नॉन-रेसिडेन्ट रुपी (एसएनआरआर) एकाउंट खोल सकते हैं। निवासी / गैर-निवासी अधिग्रहणकर्ता और गैर-निवासी कॉरपोरेट एक एस्करो एजेंट के रूप में एक शाखा के साथ आईएनआर में एस्करो खाता खोल सकते हैं।

साथ ही गैर-निवासी भारतीय (एनआरआई) जमा खातों को खोलने और बनाए रखने के लिए सभी शाखाएं अर्थात् नॉन रेसिडेन्ट एक्सटर्नल रुपी (एनआरई) जमा खाते और नॉन-रेसिडेन्ट ऑर्डिनरी (एनआरओ) जमा खाते भारतीय रुपए में करेंगे।

गैर-निवासी खाता खोलने से संबंधित केवाईसी प्रावधान के लिए, बैंक की केवाईसी नीति का पालन किया जा सकता है।

3. खाता खोलने और जमा खातों का परिचालन

क) कोई भी जमा खाता खोलने से पहले बैंक आरबीआई द्वारा जारी "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अन्तर्गत यथा आवश्यक समुचित सावधानी, धन-शोधन निवारक नियमों और विनियामकों और या बैंक की केवाईसी नीति के अन्तर्गत बैंक के ग्राहक स्वीकृति मानदंडों के अनुसार ऐसे अन्य मानदंडों या प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। किसी भावी जमाकर्ता का खाता खोलने के निर्णय में उच्च स्तरीय स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो, खाता खोलने में किसी भी प्रकार के विलंब का कारण और बैंक का अंतिम निर्णय शीघ्र ही उसे बतलाया जाएगा।

टिप्पणी: – (i) विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित सीकेवाईसीआर / केवाईसी आवेदन पत्र प्राप्त किए बिना नए व्यक्तिगत ग्राहक का कोई खाता नहीं खोला जाना चाहिए।

(ii) विस्तृत दिशानिर्देशों के लिए बैंक के केवाईसी नीति का अवलोकन किया जा सकता है।

(iii) नए खाते खोलने के लिए मानक प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

ख) बैंक समाज के वंचित वर्ग को मूल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्हें बैंकिंग सेवाएं बेसिक सेविंग्स डिपोजिट एकाउंट्स (बीएसबीडीए) और लघु बचत खातों के जरिए प्रदान की जाएंगी जो नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार सरल ग्राहक स्वीकृति मानदंडों के साथ खोला जाएगा।

ग) खाता खोलने का प्रपत्र और अन्य सामग्रियां बैंक द्वारा भावी जमाकर्ता को प्रदान की जाएंगी। इसमें प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाओं की विस्तृत जानकारी तथा सत्यापन और या रिकार्ड के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज शामिल होंगे। भावी जमाकर्ता द्वारा जमा खाता खोलने का अनुरोध करते समय खाता खोलने वाले बैंक अधिकारी उन्हें इस संबंध में प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं तथा आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे।

घ) बैंकों को संभावित जोखिम के आधार पर ग्राहकों को वर्गीकृत करने तथा लेनदेन की निगरानी के उद्देश्य से ग्राहकों का प्रोफाइल तैयार करने में नियामक दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है। आवश्यक सूचना/ विवरण प्रदान करने में किसी भावी ग्राहक की असमर्थता या अनिच्छा होने पर बैंक खाता नहीं खोल सकता है।

जोखिम वर्गीकरण पर विस्तृत दिशानिर्देश के लिए, बैंक के केवाईसी नीति का अवलोकन किया जा सकता है।

ङ) सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा ग्राहक द्वारा बैंक को आवश्यक विवरण प्रदान करने में अक्षम होने पर ग्राहक को इसकी उचित सूचना देने के बाद भी खाता को बंद किया जा सकता है।

च) बचत बैंक खाता तथा चालू जमा खाता जैसे जमा उत्पादों के लिए, बैंक द्वारा सामान्य तौर पर ऐसे खातों के परिचालन से संबंधित नियम एवं शर्तों के रूप में रखरखाव करने के लिए कुछ न्यूनतम शेष निर्धारित किया जाएगा। खाता में न्यूनतम शेष के रखरखाव में चूक होने पर खाता में बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट शुल्क लगाया जाएगा। बचत बैंक खाता के लिए, बैंक लेनदेन की संख्या, नकद आहरण आदि को निश्चित अवधि के लिए प्रतिबंधित कर सकता है। उसी प्रकार, बचत एवं चालू खाता के लिए, चेक बुक जारी करने, खातों में अतिरिक्त विवरणी, अनुलिपि पासबुक, फोलियो प्रभार आदि के लिए बैंक शुल्क निर्दिष्ट कर सकता है। खाता के परिचालन से संबंधित नियम एवं शर्तें और प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्कों की अनुसूची से संबंधित ऐसे सभी विवरण भावी जमाकर्ता को खाता खोलते समय बतलाये जाएंगे।

छ) बचत बैंक खाते पात्र व्यक्ति/ व्यक्तियों के लिए तथा कुछ संगठनों/ एजेंसियों (जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर सलाह दी जाती है) के लिए खोले जा सकते हैं।

बैंक ने हमारे भावी ग्राहकों के लिए “ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने का आवेदन” की शुरुआत की है जिसके जरिए ग्राहक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं और केवल केवाईसी सत्यापन एवं आवेदन प्रपत्र / हस्ताक्षर कार्ड पर अपना हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें शाखा में जाना होगा। खाता खोलने के इच्छुक ग्राहकों को बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर जाकर ऑनलाइन प्रपत्र भरना आवश्यक है।

निम्नप्रकार के बचत बैंक खाते ऑनलाइन खोले जा सकते हैं:

i. युनाइटेड बोनानांजा बचत (एसबीबीएनजेड)

ii. चेक बुक के साथ बचत बैंक खाता (एसबीसीएचक्यू)

iii. चेक बुक रहित बचत बैंक खाता (एसबीडब्ल्यूएसएल)

iv. युनाइटेड एसबी खाता (एसबीयूबीएस)

v. युनाइटेड चिल्ड्रेन बचत (एसबीयूसीएस)

ज) चालू खाते व्यक्तिगत/ स्वामित्व रूप से/ भागीदारी फार्म/ नीजि एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ एचयूएफएस/ निर्दिष्ट एसोसिएट्स/ समितियों/ न्यासों, सरकार (केंद्रीय या राज्य) लिमिटेड देयता भागीदारी आदि द्वारा बनाया गया प्राधिकरण विभाग आदि द्वारा खोला जा सकता है।

झ) मियादी जमा खाते व्यक्तिगत/ स्वामित्व रूप से/ भागीदारी फार्म/ नीजि एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ एचयूएफएस/ निर्दिष्ट एसोसिएट्स/ समितियों/ न्यासों /भारत सरकार द्वारा बनाए गए विभागों के प्राधिकारी (केंद्र या राज्य)/ सीमित देयता साझेदारी द्वारा खोला जा सकता है।

मौजूदा ग्राहक बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर उपलब्ध बैंक की ई-बैंकिंग सुविधा के माध्यम से मियादी जमा खाता खोल सकते हैं।

ञ) जमा खाता खोलने के दौरान व्यक्ति की पहचान, पते का सत्यापन, उसके पेशा और आय के स्रोत के बारे में संतुष्टि समुचित सावधानी प्रक्रिया में शामिल होगा। बैंक समुचित सावधानी प्रक्रिया के रूप में खाते खोलने /संचालित करने वाले सभी लोगों के हाल ही के फोटोग्राफ की मांग करेगा। ऐसा खाताधारक जिन्होंने आवश्यक फोटोग्राफ पहले ही जमा किया है और कोई अतिरिक्त खाता खोला चाहता है तो उससे नई फोटोग्राफ की मांग करने की आवश्यकता नहीं है।

ट) समुचित सावधानी की आवश्यकताओं के अतिरिक्त, केवाईसी मानदंड के तहत बैंक को कानूनी तौर पर स्थायी खाता संख्या (पैन) या आयकर अधिनियम/नियम तथा दिनांक 1 जून 2017 की अधिसूचना के द्वारा संशोधित पीएमएलए नियम और इसके बाद के संशोधनों (और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन) के अंतर्गत निर्दिष्ट फार्म सं. 60 में वैकल्पिक घोषणा प्राप्त करने की आवश्यकता है।

ठ) जमा खाते किसी व्यक्ति द्वारा उसके अपने नाम से (एकल नामे खाता के रूप में जाना जाता है) या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके अपने नाम से (संयुक्त खाते के रूप में जाना जाता है) खोला जा सकता है।

ड) **संयुक्त खाते का संचालन** : एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोला गया संयुक्त खाता को एकल व्यक्ति या संयुक्त रूप से एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा सकता है। इस खाते को खोलने के आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से आशोधित किया जा सकता है। स्वभाविक अभिभावक / अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से नाबालिग द्वारा खोला गया बचत बैंक खाता केवल ऐसे अभिभावक द्वारा ही संचालित किया जा सकता है।

संयुक्त खाताधारक निम्नलिखित में से किसी आदेश को दे सकते हैं और एक, एक से अधिक या सभी खाता धारकों की मृत्यु पर उपर्युक्त खातों के शेष राशि का निपटान इस नीति के पैरा 15 में दिये गए विवरण के अनुसार किया जाएगा:

- i. **दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो व्यक्तियों के पास है, जैसे ए और बी, तो इस खाते को किसी एक 'ए' या 'बी' द्वारा संचालित किया जाएगा।
- ii. **पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी:** यदि खाता दो व्यक्तियों के पास है, जैसे ए और बी, तो इस खाते को केवल पूर्ववर्ती (अर्थात 'ए') द्वारा संचालित किया जाएगा।
- iii. **संयुक्त संचालन:** यदि खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास है, जैसे ए एवं बी, तो इस खाते को 'ए' और 'बी' द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा।
- iv. **कोई एक या उत्तरजीवी /यों:** यदि खाता दो से अधिक व्यक्तियों के पास है, जैसे ए, बी और सी, तो इस खाते को उनमें से किसी एक (अर्थात ए या बी या सी) द्वारा संचालित किया जाएगा।

उपर्युक्त आदेश केवल मियादी जमा की परिपक्वता तिथि को या उसके बाद ही लागू होंगे या संचालित होंगे। इस आदेश को सभी खाताधारकों की सहमति से आशोधित किया जा सकता है।

यदि संयुक्त जमाकर्ता 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी', 'कोई एक या उत्तरजीवी' या 'पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी' के आदेश के अनुसार जमा के परिपक्वता से पूर्व आहरण को प्राथमिकता देते हैं, तो बैंक दिवंगत जमा धारक के कानूनी उत्तराधिकारी के सहमति मांगे बिना उत्तरजीवी जमाकर्ता /यों को मियादी जमा के परिपक्वता से पूर्व आहरण की अनुमति दे सकता है, बशर्ते सभी जमाकर्ताओं ने खाते खोलते समय या इसके बाद जमा अवधि के दौरान किसी समय उक्त उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट संयुक्त आदेश दिया हो।

ण) जमाकर्ता के अनुरोध पर, बैंक खाते को संचालित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए उसके द्वारा दिए गए आदेश / मुख्तारनामा को पंजीकृत करेगा।

त) मियादी जमा खाताधारक अपनी जमा राशि जमा करते समय परिपक्वता की तारीख को जमा खाता बंद करने या आगे की अवधि के लिए जमा के नवीनीकरण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं। ऐसे आदेश के अभाव में बैंक मियादी जमा राशि के परिपक्वता तिथि के 15 दिन पहले एसएमएस भेजकर जमा राशि के निपटान के लिए जमाकर्ता/ओं से निर्देश मांगेगा। जमाकर्ता/ओं से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं के मामले में जमा राशि स्वतः नवीकरण जमा राशि के रूप में माना जाएगा और परिपक्व हुए जमा राशि के अवधि के समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। यदि खाता स्वतः नवीनीकृत हो गया है, तो बैंक परिपक्वता तिथि पर ग्राहकों को एसएमएस भेजेगा। आवर्ती जमा और कर बचत जमा में स्वतः नवीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगा।

थ) एक व्यक्ति द्वारा खोले गए सभी जमा खातों पर नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन सोल प्रॉपराइटर द्वारा खोले गए खाते के लिए भी उपलब्ध है। नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है। किए गए नामांकन को खाताधारक/ओं द्वारा किसी भी समय निरसत किया जा सकता है या बदला जा सकता है। यदि खाताधारक निरक्षर है तो उसके नामांकन, निरसन या परिवर्तन करते समय दो अन्य पक्षकारों से साक्षी लिया जाना आवश्यक है। खाताधारक/ओं की सहमति से नामांकन को आशोधित किया जा सकता है। नाबालिग के पक्ष में भी नामांकन किया जा सकता है। नामांकन करते समय ऐसे मामलों में जमाकर्ता को उस व्यक्ति का नाम (जिसे नियुक्तकर्ता कहा जाता है) देना होगा, जो एक बालिग है और जो नामित के अवयस्कता के दौरान खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में नामित की ओर से जमा राशि प्राप्त करेगा।

द) बैंक अनुशंसा करता है कि सभी जमाकर्ता नामांकन की सुविधा का लाभ उठाएं। जमाकर्ता/ओं की मृत्यु की स्थिति में, नामित व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी के ट्रस्टी के रूप में खाते की बकाया राशि को प्राप्त करेगा। जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के लाभ के बारे में बताया जाएगा।

ध) आम तौर पर, बैंक सभी बचत बैंक खाताधारकों को पासबुक जारी करेगा और सभी चालू जमाधारकों को खातों का विवरण देगा। पासबुक /खाते का विवरण को एरियल -10 फ्रॉन्ट के आकार में मुद्रित किया जाएगा।

बैंक पूर्ण विवरण जैसे जमाकर्ता/ओं का नाम, पता, जारी करने की तिथि, जमा की अवधि, देय तिथि, लागू ब्याज दर इत्यादि को इंगित करते हुए मियादी जमा रसीद जारी करेगा।

न) आम तौर पर, बिना किसी लागत के चालू खाताधारक को मासिक आधार पर खाते का विवरण जारी किया जाएगा। खाते का विवरण जारी करने की आवधिकता पर आपसी सहमति हो सकती है और इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। एक चालू खाताधारक, यदि खाते का विवरण के बजाय पास बुक लेने की इच्छा रखता है, तो उसे एक पास बुक जारी की जाएगी। यदि वह अतिरिक्त रूप से पासबुक के अलावा कोई भी विवरण प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो सेवा प्रभार वसूलने के एवज में इसे जारी किया जा सकता है। इंटरनेट बैंकिंग यूजर अपने से खाते का विवरण स्वयं निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

पासबुक में हमेशा (i) शाखा का पूरा पता, (ii) शाखा का टेलीफोन नंबर, (iii) कस्टूमर केयर टेलीफोन नंबर (iv) क्रेडिट प्रविष्टियों सहित लिखत संख्या के विवरण और अदाकर्ता शाखा के नाम और लिखत संख्या सहित नामे प्रविष्टियों के विवरण तथा आदाता का नाम के संबंध में संक्षिप्त बोधनीय विवरण होना चाहिए। जमा के मामले में भेजने वाला का नाम एवं नामे

प्रविष्टियों के मामले में पाने वाला का नाम ईसीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस लेनदेन में इंगित किया जाएगा।

प) जमा खातों की इंटा-बैंक पोर्टेबिलिटी

यदि ग्राहक मूल शाखा से अनुरोध पत्र के साथ इच्छा व्यक्त करता है तो ग्राहक का कोई भी जमा खाता अनुरोध प्राप्त होने के ही दिन बिना किसी लागत के बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जाएगा। कोर बैंकिंग समाधान में प्रत्येक ग्राहक के पास अनन्य खाता संख्या होती है और यह बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते के हस्तांतरण पर अपरिवर्तित रहती है।

बैंक की एक शाखा द्वारा किसी खाता विशेष में एक बार किया गया संपूर्ण केवाईसी बैंक के भीतर खाते के हस्तांतरण के लिए मान्य होगा। ग्राहक से उसके नए पते के प्रमाण हेतु जोर दिए बिना, खाताधारक से स्वघोषणा के आधार पर उसके एक खाता को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि वह छह महीने की अवधि के भीतर नए पते का प्रमाण प्रस्तुत कर दे। निर्धारित समय-अवधि के अनुसार, केवाईसी डेटा का समय समय पर अद्यतन बैंक द्वारा किया जाता रहेगा।

फ) वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएँ :

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश हेतु परिपत्र संख्या OPS / CS / 37 / OM-524 / 18-19 दिनांक 08.11.2018 देखा जा सकता है।

4. ब्याज का भुगतान :

i) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 25.10.2011 को बचत बैंक जमा ब्याज दर के अविनियमन की घोषणा के बाद सावधि जमा के साथ-साथ बचत बैंक जमा पर ब्याज दर बैंक द्वारा आस्ति एवं देयताएं समिति (ALCO) तंत्र के माध्यम से भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य दिशानिर्देश के अनुसार तय की जाती है।

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्याज की गणना सावधि जमा पर तिमाही अंतराल पर की जाएगी और जमा की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय की गई दर से भुगतान किया जाएगा। 3 महीने से कम समय के लिए या जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, जमा राशियों पर ब्याज को वर्ष के 365 दिनों में गणना करते हुए वास्तविक दिनों की संख्या के आनुपातिक रूप में भुगतान किया जाएगा। मासिक जमा योजनाओं के मामले में ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और बढ़ागत मूल्य पर उसका मासिक भुगतान किया जाएगा

। सावधि जमा पर मिलने वाले ब्याज की गणना बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाए गए फॉर्मूला और परंपरा के अनुसार की जाती है ।

iii) बचत बैंक खाते में ब्याज की गणना बैंक में 01.04.2010 से प्रभावी नीति के अनुसार दैनिक अंतिम शेष के ऊपर दैनिक आधार पर की जाती है । उपचित ब्याज का भुगतान ग्राहक के खाते में तिमाही आधार पर किया जाता है ।

iv) जमा पर ब्याज की दर को शाखा परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा । जमा योजनाओं और अन्य सेवाओं से संबंधित परिवर्तन को, यदि कोई हो तो उसे सीधे तौर पर सूचित किया जाएगा और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा ।

यदि किसी व्यक्ति के सभी सावधि जमा पर, कुल भुगतान / देय ब्याज आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट राशि से ज्यादा हो तो बैंक को स्रोत पर कर काटने का वैधानिक दायित्व है। कर कटौती की राशि के लिए बैंक एक कर कटौती प्रमाण पत्र (टीडीएस) जारी करेगा ।

यदि जमाकर्ता टीडीएस छूट का हकदार है तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में निर्धारित प्रारूप (15H और 15G) में शाखा को घोषणा प्रस्तुत कर सकता है ।

5. नाबालिगों के खाते :

i) बचत बैंक खाता और सावधि जमा खाता सहित आवर्ती जमा खाता को नाबालिग के नाम में (नाबालिग खाता के रूप में जाना जाता है) स्वाभाविक अभिभावक या अदालत (कानूनी अभिभावक) द्वारा नियुक्त अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है । नाबालिग के नाम पर भी बचत बैंक खाता या सावधि जमा खाता संयुक्त रूप से स्वाभाविक अभिभावक के साथ या माता के साथ अभिभावक के रूप में (नाबालिग खाता के रूप में जाना जाता है) या संयुक्त रूप से एक बालिग के साथ खोला जा सकता है, जहाँ नाबालिग का प्रतिनिधित्व स्वाभाविक अभिभावक द्वारा किया जाता है ।

ii) 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग को बैंक स्वतंत्र रूप से बचत बैंक खाता खोलने और संचालित करने की अनुमति दे सकता है । बैंक इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम / डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकता है, बशर्ते नाबालिग खातों से अधिक निकासी करने की अनुमति नहीं होगी और ये हमेशा क्रेडिट में रहे । इन खातों को खोलने और संचालन करते समय केवाईसी मानदंड और समुचित सावधानी का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

iii) जब तक ग्राहक आवश्यक केवाईसी दस्तावेज के साथ नाबालिग खाते को बालिग में परिवर्तित नहीं करता तब तक बालिग होने के दिन से खाते को निष्क्रिय कर देना चाहिए । जो खाते बालिग होने वाले हैं, उन नाबालिग खाताधारकों को बैंक पहले से सूचना भेजेगा ।

तत्कालीन नाबालिग को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता स्वाभाविक अभिभावक / अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है तो पूर्ववर्ती नाबालिग के नए नमूना हस्ताक्षर को स्वाभाविक अभिभावक द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सभी परिचालनगत उद्देश्यों के लिए इसे रिकॉर्ड में रखा जाएगा ।

iv) बहरहाल, निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवर्ती जमा खाते सहित बचत और सावधि जमा खाता को केवल माता द्वारा नाबालिग के नाम पर अभिभावक के रूप में खोला जा सकता है, भले ही स्वाभाविक अभिभावक जीवित हो (जब कभी भी बैंक को इस तरह के अनुरोध प्राप्त हों) ।

क)खाता हमेशा क्रेडिट बैलेंस में रहेगा और किसी भी परिस्थिति में अधिक निकासी नहीं होने दिया जाएगा ।

ख)सावधि जमा खाते 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं खोले जा सकते हैं। बहरहाल, अपवाद रूप में किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में नाबालिगों, जहां नाबालिग का हित शामिल हो, और ऐसे कोष निर्माण जैसे कि ऋण-शोधन निधि, परिशोधन निधि आदि हेतु।

6. अनपढ़ / दृष्टिबाधित व्यक्ति का खाता :

6-क. अनपढ़ व्यक्ति का खाता

चालू खाता को छोड़कर, अनपढ़ व्यक्ति के नाम पर बैंक अपने विवेकाधीन से जमा खाता खोल सकता है । ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते वह बैंक में व्यक्तिगत रूप से एक गवाह के साथ आता है, जो जमाकर्ता और बैंक दोनों के पहचान का हो । आमतौर पर, इस तरह के बचत बैंक खाते के लिए कोई चेक बुक सुविधा प्रदान नहीं की जाती । जमाराशि के आहरण और / या ब्याज या जमा राशि के पुनर्भुगतान के समय खाताधारक को अपने अंगूठे का निशान या अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में निशान लगाना चाहिए जो व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगा । बैंक खाताधारक को दी जाने वाली पासबुक आदि की उचित देखभाल और सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बारे में बताएगा । बैंक अधिकारी निरक्षर व्यक्ति को खाते को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के बारे में मौखिक जानकारी देगा।

6 ख. दृष्टि बाधित व्यक्तियों हेतु खाता

बैंक दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बचत जमा खातों के साथ-साथ मियादी जमा खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेगा । अशिक्षित व्यक्तियों के संबन्ध में, ऐसे खातों का संचालन खाताधारक द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा और ऐसे खाताधारकों को शाखा के अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा व उनके समक्ष अंगूठे का निशान लगाना होगा एवं खाते के परिचालन हेतु उनकी पहचान उनके फोटो द्वारा की जाएगी।

बैंक बिना किसी भेदभाव के दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चेक बुक सुविधा, एटीएम सुविधा, नेट बैंकिंग सहित , लॉकर सुविधा, खुदरा ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि सभी बैंकिंग सुविधाओं के प्रयोग की अनुमति प्रदान करेगा । बैंक खाताधारक को पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड की उचित देखभाल और सुरक्षित रखने की आवश्यकता की जानकारी प्रदान करेगा । बैंक अधिकारी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को खाते के परिचालन / नियंत्रित करने के नियम एवं शर्तें समझा देंगे ।

7. आत्मकेंद्रित, दिमागी आघात वाले, मानसिक मंद और विविध दिव्यांग व्यक्तियों के खाते :

दिव्यांगता अधिनियम, 1999 के तहत आत्मकेंद्रित, दिमागी आघात वाले, मानसिक रूप से मंद और विविध दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत जिला न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी संरक्षक, आत्मकेंद्रित, दिमागी आघात वाले, मानसिक रूप से मंद और विविध दिव्यांग व्यक्तियों के नाम पर मियादी जमा और बचत जमा खाते भी खोले जा सकते हैं । इस प्रकार नियुक्त किए गए कानूनी अभिभावक को संरक्षकता प्रमाण पत्र के साथ लागू स्थानीय कानून के अनुसार विधिवत रूप से एक क्षतिपूर्ति-सह-वचनबंध देना होगा ।

8. संयुक्त खाता धारकों के नाम को सम्मिलित करना या हटाना

समस्त संयुक्त खाता धारकों के अनुरोध पर बैंक, कुछ संयुक्त खाता धारक/धारकों के नाम को, उत्पन्न परिस्थितिवश, सम्मिलित करने या हटाने की अनुमति दे सकता है या किसी व्यक्तिगत जमाकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति के नाम को संयुक्त खाता धारक के रूप में सम्मिलित करने की अनुमति दे सकता है ।

नाम सम्मिलित करने की स्थिति में, उस व्यक्ति का फोटो लिया जाना चाहिए और उसका पूरा केवाईसी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

9. ग्राहकों सूचना

बैंक ग्राहकों से एकत्र की गई उनकी जानकारियों का उपयोग बैंक, बैंक की सहायक और सहयोगी कंपनियों द्वारा सेवाओं या उत्पादों के प्रतिविक्रय के लिए नहीं करेगा । यदि बैंक इस तरह की जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है तो इसके लिए खाताधारक की सहमति प्राप्त करनी ही होगी ।

10. ग्राहक के खातों की गोपनीयता

ग्राहक की सहमति (व्यक्त या निहित) के बिना बैंक ग्राहक के खाते के विवरण / विवरणों का खुलासा किसी अन्य व्यक्ति या तृतीय पक्ष को नहीं करेगा । हालांकि, इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कानूनी बाध्यता के तहत सूचना का प्रकटीकरण, जहां कर्तव्य के तहत जनता के लिए प्रकटीकरण हो या बैंक के हित को ध्यान में रखते हुए प्रकटीकरण की आवश्यकता हो ।

11. मियादी जमा की समयपूर्व निकासी

जमा करते समय यदि जमाकर्ता ने अपनी सहमति व्यक्त की है तो बैंक जमाकर्ता के अनुरोध पर अवधि पूरी होने से पहले उसके मियादी जमा खाते से *1.00 करोड़ रुपये से कम के मियाद पूर्व आहरण की अनुमति प्रदान करेगा* । बैंक द्वारा मियाद पूर्व निकासी के लिए दंडात्मक ब्याज दरों की नीति घोषित की गई है और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाएगी । बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दर से अवगत कराएगा । यदि मियादी जमा को जमा की तारीख से 7 दिनों के भीतर मियाद से पहले बंद कर दिया जाता है तो कोई

ब्याज देय नहीं होगा। यदि 7 दिनों से अधिक पर समय से पहले बंद किया गया और जमा की गई राशि को वापस ले लिया जाता है तो बैंक के पास जमा की गई अवधि तक लागू ब्याज दर पर 1% जुर्माना लगाया जाएगा।

बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार 1.00 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक के थोक जमा के संबंध में सभी जमाकर्ताओं पर, जिसमें व्यक्तियों और एचयूएफ की जमा राशि शामिल है, को समयपूर्व आहरण के लिए रोक लगा सकता है, तथापि, बैंक को ऐसे जमाराशियों को स्वीकार करते समय जमाकर्ता को अग्रिम रूप से ऐसे समयपूर्व आहरण को नामंजूर करने के अपने ऐसे विकल्प को स्पष्ट करना होगा।

12. मियादी जमा का समय से पूर्व नवीकरण

यदि किसी परिस्थितिवश जमाकर्ता किसी मौजूदा मियादी जमा खाते को समय से पहले बंद करके नवीकृत करने की इच्छा रखता हो तो बैंक नवीकरण की तारीख से लागू दर पर नवीकरण की अनुमति देगा बशर्ते मूल जमा की अवधि जमा शेष राशि से अधिक अवधि के लिए नवीकृत हो। जबकि समय से पूर्व जमा को नवीकरण के लिए बंद करने पर उस जमा अवधि, तक जब तक राशि बैंक में जमा थी, के ब्याज का भुगतान जमा की तारीख से जमा किये गए दिन तक, के उस समय के प्रभावी ब्याज दर से किया जाएगा न कि अनुबंधित दर पर जो कि निम्नलिखित शर्तों के मुताबिक होगी।

क. यदि समय से पूर्व मूल जमाराशि को अवशिष्ट अवधि से अधिक अवधि के लिए पुनर्निवेश करने हेतु आहरित किया जाता है तो उस अवधि के लिए मूल जमाराशि की तारीख पर लागू दर से ब्याज का भुगतान बिना 1% का जुर्माना लगा कर किया जाएगा जिस समय तक राशि बैंक में जमा थी।

ख. यदि मियादी जमा मूल जमा की अवशिष्ट अवधि से कम अवधि के लिए एवं समय से पूर्व आहरण द्वारा नवीकृत की जाती है तो 1% की दर से जुर्माना वसूल किया जाएगा।

13. अतिदेय मियादी जमा का नवीकरण।

जब मियादी जमाराशि परिपक्वता पर नवीकृत की जाती है तब जमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए नए सिरे से जमा ब्याज दर पर परिपक्वता की तिथि लागू की जाएगी। यदि परिपक्वता की तिथि के बाद नवीकरण के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो ऐसी अतिदेय जमाराशियों को देय तिथि से लागू ब्याज दर पर परिपक्वता की तिथि से प्रभावी किया जाएगा बशर्ते यह अनुरोध परिपक्वता की तारीख से 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो। परिपक्वता की तिथि से 14 दिनों के बाद अतिदेय जमा के नवीकरण की स्थिति में अतिदेय अवधि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर ब्याज का भुगतान तय की गई दरों पर किया जाएगा। यदि नकदीकरण के लिए अतिदेय मियादी जमा रसीद को प्रस्तुत किया जाता है तो बचत बैंक की दर से साधारण ब्याज का अतिदेय अवधि के लिए बैंक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

14. जमा राशियों के लिए अग्रिम।

यदि जमाकर्ता द्वारा आवश्यक समस्त प्रतिभूति दस्तावेजों का विधिवत रूप से निष्पादन किया गया है तो जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक मियादी जमा के बदले ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए विचार कर सकता है। बैंक (अभिभावक द्वारा संचालित) नाबालिग के नाम पर जमा राशि हेतु ऋण दिए जाने पर भी विचार कर सकता है, तथापि, जमाकर्ता आवेदक (अर्थात् अवयस्क के अभिभावक जो खाते का संचालन करता है) द्वारा एक उपयुक्त घोषणा प्रस्तुत की जाए जिसमें यह उल्लिखित हो कि उक्त ऋण अवयस्क के लाभ के लिए है।

नोट - बैंक ने अब खुदरा ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पुनर्निवेश योजना की प्रकृति के मियादी जमा के बदले मांग ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रारंभ की है।

15. मृतक के जमा खाते में बकाया राशि का निपटान।

मृतकों के खातों के दावों का निपटान दिनांक 20.04.2012. के संदर्भित परिपत्र सं O&M/उत्परिवर्तन/5/ओम-043/12-13 के तहत किया जा सकता है।

मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में किये दावे और उनके उत्तरजीवियों/ नामिती को दावे का भुगतान, दावा के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के अंदर, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और दावेदार की उपयुक्त पहचान सुनिश्चित होने पर बैंक की संतुष्टि के बाद किया जाएगा।

विभिन्न खातों का निपटान निम्नानुसार किया जा सकता है :-

क बचत खाता/चालू खाता में दावा का निपटान

क(i) – नामांकन के साथ एकल खाता :-

बकाया राशि (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान नामिती को उसकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

क(ii) नामांकन के बगैर एकल खाता :-

बकाया राशि (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान उसके समस्त कानूनी वारिसों (या उनमें से किसी एक को जिसे समस्त कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेश दिया गया हो) को उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

क (iii) - संयुक्त खाता बिना उत्तरजीविता अधिदेश के (संयुक्त रूप से संचालित) - नामांकन के साथ :-

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक, परंतु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान उत्तरजीवी (यों) और मृतक संयुक्त खाताधारक के कानूनी वारिसों (या उनमें से किसी एक को जिसे समस्त कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेश दिया गया हो) को संयुक्त रूप से उनके संयुक्त दावे के लिए उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा किए जाने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

(ख) दोनों / सभी संयुक्त खाता धारकों की मृत्यु की स्थिति में शेष बकाया (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान नामिती को उसकी पहचान और जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

क (iv) - उत्तरजीवी अधिदेश के बिना संयुक्त खाता (संयुक्त रूप से संचालित) - नामांकन के बिना :-

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक, परंतु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान उत्तरजीवी (ओं) और मृतक संयुक्त खाताधारक के कानूनी वारिसों (या उनमें से किसी एक को जिसे समस्त कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेश दिया गया हो) को संयुक्त रूप से उनके संयुक्त दावे के लिए उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

(ख) संयुक्त खाता धारकों में से दोनों या सभी संयुक्त खाता धारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतित ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान सभी मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी वारिसों (या उनमें से किसी एक को जिसे समस्त कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेश दिया गया हो) को संयुक्त रूप से उनके संयुक्त दावे के लिए उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

क (v)- अधिदेश के साथ संयुक्त खाता "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी"/"पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति" /"कोई एक या उत्तरजीवी"-नामांकन के साथ

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक परंतु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान उत्तरजीवियों को उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

(ख) संयुक्त खाता धारकों में से दोनों या सभी संयुक्त खाता धारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान नामिती को उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

क (vi) - अधिदेश के साथ संयुक्त खाता "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी"/"पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति" /"कोई एक या उत्तरजीवी"-नामांकन के बिना

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक परंतु सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतन ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान उत्तरजीवियों को उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

(ख) संयुक्त खाता धारकों में से दोनों या सभी संयुक्त खाता धारकों की मृत्यु की स्थिति में, बकाया शेष (अद्यतित ब्याज के साथ, यदि लागू हो तो) का भुगतान सभी मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी वारिसों (या उनमें से किसी एक को जिसे समस्त कानूनी वारिसों द्वारा अधिदेश दिया गया हो) को संयुक्त रूप से उनके संयुक्त दावे के लिए उनकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा।

ख. मीयादी जमा खातों में दावा का निपटान :-

ख (i) एकल खाता – नामांकन के साथ :-

बकाया शेष राशि (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान नामिती को उसकी पहचान, जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक कागजात / दस्तावेज के जमा करने व उसके सत्यापन के उपरांत किया जाएगा। मीयादी जमा खाते को समय पूर्व बंद करने की अनुमति नामिति के अनुरोध पर भी दी जाएगी।

ख (ii) एकल खाता – बिना नामांकन के :-

कानूनी तौर पर उत्तराधिकारियों (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) को बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान उनकी पहचान सत्यापित होने और परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (या सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी।

ख (iii) उत्तरजीविता की अनिवार्यता (संयुक्त रूप से परिचालित) के बिना संयुक्त खाता- नामांकन के साथ :-

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान उत्तरजीवी(यों) को संयुक्त रूप से और मृत संयुक्त खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) उनके संयुक्त दावा के एवज में कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान सत्यापित होने और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और साथ ही आवश्यक कागजात/ दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

उत्तरजीवी(यों) और कानूनी उत्तराधिकारियों (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी।

(ख) दोनों / सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान नामिती को उसकी पहचान और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण और आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

नामिती के अनुरोध करने पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी।

ख (iv) उत्तरजीविता की अनिवार्यता (संयुक्त रूप से परिचालित) के बिना संयुक्त खाता- नामांकन के बिना :-

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान उत्तरजीवी(यों) को संयुक्त रूप से और मृत संयुक्त खाता धारक के कानूनी उत्तराधिकारियों को (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) उनके संयुक्त दावा के एवज में कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान सत्यापित होने और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

उत्तरजीवी(यों) और कानूनी उत्तराधिकारियों (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी।

(ख) दोनों / सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान संयुक्त रूप से सभी मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारी (यों) (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक को) उनके संयुक्त दावा की एवज में कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान सत्यापित होने और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

मृत जमाकर्ता के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी।

ख (v) “दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी” / “पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति” / “कोई भी या उत्तरजीवी” / “परवर्ती या उत्तरजीवी” की अनिवार्यता के साथ संयुक्त खाता – नामांकन सहित ।

(क) संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान उत्तरजीवी(यों) को जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का सत्यापन करने और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

उत्तरजीवी(यों) के अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी ।

(ख) दोनों / सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान नामिती को उसकी पहचान और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का सत्यापन करने और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

नामिती के अनुरोध करने पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी ।

ख (vi) – “दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी” / “पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी व्यक्ति” / “कोई भी या उत्तरजीवी” / “परवर्ती या उत्तरजीवी” की अनिवार्यता के साथ संयुक्त खाता – नामांकन सहित ।

(क) संयुक्त खाता धारकों में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान उत्तरजीवी(यों) को जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण का सत्यापन करने और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा ।

उत्तरजीवी(यों) के अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी ।

(ख) दोनों / सभी संयुक्त खाताधारकों की मृत्यु होने पर, बकाया शेष (लागू ब्याज के साथ) का भुगतान संयुक्त रूप से, सभी मृत जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारी (यों) (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक को) उनके संयुक्त दावा के एवज में कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान सत्यापित होने और जमा की परिपक्वता पर जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण प्रस्तुत करने पर और साथ ही आवश्यक कागजात / दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भी किया जाएगा ।

मृत जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों (अथवा सभी कानूनी उत्तराधिकारियों से अनुमति प्राप्त उनमें से किसी एक को) के संयुक्त अनुरोध पर मीयादी जमा को समय-पूर्व बंद करने की अनुमति भी दी जाएगी ।

16. दिवंगत खाता में मीयादी जमा पर देय ब्याज :

जमा की परिपक्वता तारीख से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने और परिपक्वता तारीख के बाद जमा राशि का दावा करने के मामले में, बैंक परिपक्वता की तारीख तक अनुबंधित दर से ब्याज का भुगतान करेगा । परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक, बैंक इस संबंध में अपनी नीति के अनुसार परिपक्वता की तारीख पर लागू परिचालित दर से साधारण ब्याज का भुगतान उस अवधि के लिए करेगा जिसके लिए यह जमाराशि बैंक के पास परिपक्वता की तारीख के बाद तक रहा है ।

यदि परिपक्वता की तारीख से पहले जमाराशि का दावा किया जाता है तो बैंक के पास रही जमाराशि पर उसी अवधि के लिए लागू दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा ।

बहरहाल, जमा की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु होने की स्थिति में, बैंक परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक , परिपक्वता की तारीख पर परिचालित बचत जमा की दर से भुगतान करेगा ।

17. खातों की प्रकृति का स्वतः रूपांतरण :

पूर्णतः केवाईसी अनुपालित खाते बैंक के रिकार्ड में उपलब्ध जन्म तिथि के आधार पर स्वचालित रूप से 'वरिष्ठ नागरिक खाता' में रूपांतरित हो जाएंगे।

18. जमाराशि के लिए बीमा कवर :

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा निश्चित सीमा और शर्तों के अंतर्गत दी गई बीमा योजना के तहत सभी बैंक (निक्षेप) डिपॉजिट शामिल हैं। लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

बीमा के फायदों से जुड़े जमा उत्पादों को पेश करते समय बैंक ग्राहक को बीमा के फायदों का लाभ उठाने का विकल्प देगा और जमाकर्ता द्वारा बीमा कवर का विकल्प चुनने पर उसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट बीमा लागत की जानकारी देगा।

19. भुगतान मनाही की सुविधा :

जमाकर्ता से उनके द्वारा जारी किए गए चेकों के संबंध में भुगतान रोकने का अनुदेश, यदि बैंक को आहरणकर्ता द्वारा ऐसे चेकों को बैंक में प्रस्तुत करने से पहले प्राप्त होता है तो बैंक उसे स्वीकार करेगा। निर्दिष्ट शुल्क जमाकर्ता खाताधारक से वसूल किए जाएंगे।

20. निष्क्रिय खाते :

जिन खातों को दो वर्षों तक परिचालित नहीं किया गया है, उन्हें बैंक के साथ-साथ जमाकर्ता के हित में एक पृथक निष्क्रिय खाता की स्थिति में रूपांतरित कर दिया जाएगा। जमाकर्ता को शुल्कों की जानकारी दी जाएगी, यदि कोई हो, जिसे बैंक निष्क्रिय खातों पर लगाएगा। जमाकर्ता केवाईसी मानदंडों की शर्तों को पूरा करने के बाद खाता का परिचालन करने के लिए बैंक से खाता को सक्रिय करने का अनुरोध कर सकता है। खाता को निःशुल्क सक्रिय किया जाएगा।

21. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खाते

यदि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर होने का दावा कर रहा है और खाता खोलना या कोई बैंकिंग लेनदेन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को "थर्ड जेंडर" के रूप में माना जाएगा और विवरण खाता खोलने के फार्म / या ऐसे अन्य लागू फार्मों में इसी रूप में स्वीकार किया जाएगा।

ऐसे व्यक्ति का संबोधन "एमएक्स" होगा।

सभी ट्रांसजेंडर ग्राहकों से बिना किसी भेदभाव के अन्य पुरुष / महिला ग्राहकों के समान ही व्यवहार किया जाएगा।

22. खाता को बंद / फ्रीज करना :

बैंक के पास ग्राहकों को कारण सहित उचित सूचना देने के बाद जमाकर्ता के खातों को बंद करने या फ्रीज करने का अधिकार सुरक्षित है। उक्त कारण निम्नलिखित हैं लेकिन इन्हीं कारणों तक सीमित नहीं हैं :

- 1) पहचान और पता प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेजों के फर्जी / जाली / दोषपूर्ण पाए जाने के मामले में,

- 2) खाता खोलने संबंधी चेक का वित्तीय कारणों / हस्ताक्षर मिलान नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।
- 3) धोखाधड़ी / जाली / जाली चेकों / बैंक ड्राफ्टों या किसी भी ऐसे लिखतों को खातों के माध्यम से समाशोधित करवाने का प्रयास किया गया है।
- 4) खाते में आवक/जावक चेकों को लगातार वापस करने के मामले में।
- 5) कोई झूठी / गलत सूचना दी गई हो या तात्विक तथ्य को छिपाया गया हो।
- 6) निषेधात्मक सूची में खाताधारक के नाम का पता लगने पर।
- 7) लेनदेनों की संख्या / प्रकार, न्यूनतम शेषराशि का रख-रखाव नहीं करने आदि से संबंधित खाता का असंतोषजनक परिचालन करना। संपर्क पता में हुए परिवर्तन को बैंक को सूचित नहीं करना ग्राहक के अता पता को अज्ञात साबित करता है।
- 8) ऐसे मामले में जहां किन्हीं कारणों से नामे शेष को शामिल किया जा रहा है लेकिन सीमित नहीं है, बैंक द्वारा पेश की गई सुविधाओं के मामले में गैर—भुगतान, जहां चुकौति ग्राहक के खाता के माध्यम से की जानी है, गलत क्रेडिट का प्रत्यावर्तन, किसी सुविधा के संबंध में या अन्यथा बैंक द्वारा ग्राहकों को मंजूर किया गया कोई अस्थायी ओवरड्राफ्ट आदि को खाते में 90 दिनों से अधिक तक जारी रहने की मंजूरी दी गई है।

23. ग्राहक के अनुरोध पर खाता को बंद करना :

खाता बंद करने की इच्छा होने पर ग्राहक द्वारा पासबुक (यदि जारी किया गया हो) और उपयोग नहीं किए गए सभी चेक पत्रों के साथ अपना हस्ताक्षर करते हुए लिखित अनुरोध मूल शाखा को संबोधित करके भेजा जाना चाहिए। उक्त खाते में जारी किया गया डेबिट कार्ड / एटीएम कार्ड को भी बैंक को सौंप देना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म और संयुक्त खाता के मामले में अनुरोध पत्र क्रमशः सभी पार्टनरों और खाताधारकों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

लिमिटेड कंपनियों के मामले में खाता को बंद करने से संबंधित बोर्ड के संकल्प की आवश्यकता होती है। मीयादी जमा खाता के मामले में विधिवत रूप से निपटायी गई मीयादी जमा रसीद को खाता बंद करने के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि ग्राहक की इच्छा है तो पासबुक (यदि जारी किया गया हो) में “खाता बंद” मुहर लगाने के बाद ग्राहक के पास छोड़ा जा सकता है। ब्याज के साथ ऐसे खाते में जमा शेष राशि, बैंक के सभी देय व शुल्कों की वसूली और आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लागू करों की कटौती के बाद ग्राहक को भुगतान कर दी जाएगी।

24. शिकायतों और रंज़िशों का निपटान :

बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत/रंज़िश को बैंक द्वारा निपटाने के लिए पदनामित प्राधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार जमाकर्ताओं को होगा। शिकायत के निपटान के लिए आंतरिक व्यवस्था का विवरण शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाएगा। शाखा के अधिकारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दी जाएगी। जमाकर्ता को उसके शिकायत करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने पर या बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त किए गए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है।

विभिन्न जमा खातों की मुख्य विशेषताएं

1. बचत बैंक खाता:

बचत बैंक खाता गैर-व्यावसायिक लेनदेन हेतु व्यक्तिगत एवं अन्य ग्राहकों के मध्य सबसे प्रचलित परिचालन खाता है। बचत बैंक खाता एक व्यक्ति के नाम से अथवा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से खोला जा सकता है। संयुक्त खाता के मामले में, दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी अथवा पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी खंड के साथ, यह संयुक्त रूप से या अलग-अलग संचालित किया जा सकता है। वास्तविक अभिभावक द्वारा परिचालन करने हेतु नाबालिग के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग व्यक्तिगत रूप से खाते को परिचालित कर सकते हैं। एक निरक्षर व्यक्ति भी निरक्षर या साक्षर के साथ संयुक्त रूप से खाता खोल सकता है किंतु साक्षर उत्तरजीवी होगा। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति भी खाता खोल सकता है। किसी क्लब, सोसायटी अथवा संस्था के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। खाते से चेक अथवा आहरण पर्ची के माध्यम से पैसे निकाले जा सकते हैं। आहरण पर्ची से स्वयं द्वारा रु. 20000/- तक आहरण पर्ची के माध्यम से निकाले जा सकते हैं, जबकि निरक्षर ग्राहक बिना किसी सीमा के कोई भी राशि निकाल सकते हैं क्योंकि निरक्षर ग्राहकों के खाते में चेक बुक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष का प्रावधान है और ऐसा न करने पर अर्थदण्ड हो सकता है। केवाईसी प्रतिमानक लागू होंगे।

बैंक आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002, यूएनएससीआर(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विनियमावली)सूची, अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अधिसूचित संस्थाओं का खाता नहीं खोलेगा, जिसमें अलकायदा संस्वीकृत सूची शामिल है।

2. युनाइटेड बोनॉज़ा बचत योजना

एक बचत योजना जिसमें बचत खाते की चलनिधि और सावधि जमा खाता का ब्याज दर समायोजित है। जमाकर्ता एक बचत बैंक खाता खोलेगा, जिसमें एक निश्चित सीमा से अधिक शेष के स्थानांतरण की व्यवस्था हो, जो कि खाताधारक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए स्वचालित रूप से मियादी जमा खाते में स्थानांतरित हो और खाताधारक उस राशि पर मीयादी जमा दर पर ब्याज अर्जित करे। केवाईसी प्रतिमानक लागू होंगे।

3. युनाइटेड कैपिटल गेन/पूंजीगत अभिलाभ खाता योजना:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54, 54B, 54D, 54F अथवा 54G के उपबंधों के अधीन किसी जमाकर्ता द्वारा उक्त अधिनियम की धाराओं अथवा उपधाराओं के अंतर्गत, यथास्थिति, इस योजना के प्रावधानों के अनुसार अभिप्रेरित लाभ लेने हेतु किया गया जमा।

इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार के खाते नामतः खाता-अ व खाता-ब खोले जा सकते हैं।

खाता-अ बचत जमा व खाता-ब मियादी जमा के रूप में होगा। करदाता पूंजीगत अभिलाभ से छूट का लाभ उठा सकते हैं अगर पूंजीगत अभिलाभ की राशि अथवा निवल प्रतिफल को आय के विवरण प्रस्तुत करने हेतु नियत तिथि को या उससे पहले बैंक में जमा किया गया हो। "ग्रामीण" के रूप में वर्गीकृत शाखाओं को छोड़कर हमारी अन्य सभी शाखाएं इस योजना के अंतर्गत खाते खोलने और जमा संग्रहण हेतु अधिकृत हैं। केवाईसी प्रतिमानक लागू होंगे।

4. युनाइटेड शिशु/बाल बचत खाता :

10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों द्वारा युनाइटेड शिशु/बाल बचत खाता प्रारंभ किया जा सकता है और स्वतंत्र रूप से परिचालन किया जा सकता है। निरक्षर बच्चे इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु पात्र नहीं हैं। अवयस्क बच्चे के एकल नाम से खाता खोला जा सकता है। एक अवयस्क अगर न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक के अधीन है तो 21 वर्ष की उम्र में वयस्क होगा और अन्य सभी मामलों एक अवयस्क 18 वर्ष की आयु में वयस्क होगा। वयस्क होने पर, एक नया फोटोग्राफ लेकर खाते को सामान्य बचत खाता के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत खाते में प्रारंभिक न्यूनतम जमा और खाते का न्यूनतम शेष रु. 50/- होगा। केवाईसी प्रतिमानक लागू होंगे।

5. बुनियादी बचत बैंक खाता :

कोई भी बैंक सुविधा रहित जनसंख्या का भाग जहाँ सेवा प्रभारों को लगाने एवं न्यूनतम शेष आवश्यकता के निर्धारण के चलते बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, एस बी खाता या नौ-फ्रिल खाता खोल सकता है। न्यूनतम शेष नियम के लागू होने और सेवा शुल्क प्रभारित होने के कारण बुनियादी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जनसमूह बुनियादी बचत बैंक खाता अथवा सीमित सुविधा खाता खोल सकते हैं। इस सुविधा हेतु लक्षित समूह ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वाले परिवार, प्रवासी मजदूर, ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक/कृषि मजदूर, गैर-पेंशनभोगी वरिष्ठ नागरिक आदि होंगे। खाते का प्रारंभ और परिचालन शून्य शेष के साथ किया जा सकेगा। इस बचत खाते पर भारत सरकार के अधिसूचना के अनुसार लघु बचत खातों के प्रतिबंध लागू होंगे।

6. युनाइटेड चालू जमा खाता:

यह एक सर्वाधिक बुनियादी और लचीला जमा विकल्प है जिसमें सीमित संख्या के बिना लेनदेन की सुविधा है। व्यक्ति(निरक्षर, एक अन-उन्मोचित शोधक्षम और विक्षिप्त को छोड़कर), एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान, साझेदारी प्रतिष्ठान, निजी एवं सार्वजनिक निगम कम्पनी, हिंदू अविभक्त परिवार, स्थानीय निकाय, क्लब, सोसाइटी, संघ, न्यास, निष्पादक, प्रशासक, परिसमापक आदि चालू खाता खोलने हेतु पात्र हैं। खाते में रु. 1000/- प्रारम्भिक जमा और न्यूनतम शेष रखना होगा। चालू जमा खाते में कोई ब्याज देय नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशानुसार, जमाकर्ता को घोषणा करना होगा कि किसी अन्य बैंक से उसे कोई ऋण सुविधा प्राप्त नहीं है। केवाईसी प्रतिमानक लागू होंगे।

7. युनाइटेड बोनांज़ा चालू खाता:

कोई भी चालू खाता खोलने हेतु बोनांज़ा चालू खाता खोल सकता है। खाते को खोलने हेतु न्यूनतम प्रारम्भिक जमा राशि रु. 1.00 लाख होगी और खाते में न्यूनतम रु. 1.00 लाख न्यूनतम शेष रखना होगा। खाता खोलने के समय जमाकर्ता के विकल्प के अनुसार, मियादी चालू खाता खोलने हेतु आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन की आवश्यकता के बिना ही बोनांज़ा चालू खाते में रु. 1.00 लाख से अधिक अथवा जमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट राशि से अधिक शेष रु. 10000/- या जमाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट उससे अधिक किसी भी गुणक में मियादी जमा में परिवर्तित हो जाएगा।

8. युनाइटेड गोल्ड एवं प्लेटिनम चालू खाता:

चालू खाता खोलने हेतु योग्य कोई भी इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु पात्र है। इस जमा योजना हेतु लक्षित समूह सार्वजनिक एवं निजी निगमित कंपनी, कारपोरेट, थोक विक्रेता, व्यापारी, अस्पताल एवं नर्सिंग होम, सेवा क्षेत्र की कंपनी/प्रतिष्ठान, साझेदारी एवं एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान, व्यक्ति आदि हैं।

यह योजना सभी शाखाओं में सक्रिय है। न्यूनतम शेष सीमा चालू खाते के समान है। हलाँकि गोल्ड एवं प्लेटिनम खाते में विभिन्न स्तरों पर निश्चित औसत त्रैमासिक शेष रखने पर कुछ अन्य अतिरिक्त लाभ, मुफ्त चेकबुक, केश हैंडलिंग प्रभार पर छूट, खुदरा ऋण पर प्रसंस्करण प्रभार में छूट, मुफ्त एटीएम कार्ड, मुफ्त इंटरनेट एवं टेलीबैंकिंग सुविधा आदि उपलब्ध हैं।

9. युनाइटेड प्रिमीयम चालू जमा:

चालू खाता खोलने हेतु योग्य कोई भी इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु पात्र है। इस जमा योजना हेतु लक्षित समूह गोल्ड एवं प्लेटिनम चालू जमा खाते के समान हैं। अधिकतम औसत त्रैमासिक शेष रु. 2.50 लाख बनाए रखना होगा। इस योजना के अंतर्गत अत्यंत उदार अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निः शुल्क एटीएम कार्ड, प्रति माह 100 पन्नों की एक चेक बुक, खाते का मुफ्त साप्ताहिक विवरण, मुफ्त फोलियो प्रभार, दैनिक असमाशोधित शेष के 60% के बराबर असमाशोधित शेष की निकासी, युबीआई खातों के पक्ष में मुफ्त धन-प्रेषण और कई अन्य लाभ उपलब्ध हैं।

10. मीयादी जमा :

इस खाते में राशि पूर्व निर्धारित समयावधि हेतु जमा रहती है खाताधारक की इच्छानुसार ब्याज मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक या परिपक्वता के समय देय होता है। अवधि विकल्प 7 दिवस से 120 माह तक उपलब्ध है। सावधि जमा एक या एकाधिक व्यक्तियों, फर्म या कम्पनी या न्यास या संघ अथवा निष्पादक, प्रशासक आदि द्वारा व नामांकन सुविधा के साथ स्वीकृत किया जा सकता है।

11. युनाइटेड कर बचत योजना(मियादी जमा प्रकार एवं पुनर्निवेश योजना प्रकार):

एक कर निर्धारिती प्रत्येक वर्ष बैंक की ऐसी योजना में पहली अप्रैल से न्यूनतम रु. 100/- या इसके गुणक में एक वित्त वर्ष में अधिकतम रु. 1,50,000/- तक कोई भी राशि जमा कर सकता है। किसी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा निवेशित ऐसी राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अधीन कटौती हेतु पात्र है।

जब अवयस्क एक पैन कार्ड धारी कर निर्धारिती है, तो बैंक के सामान्य मानदंड के अनुसार खाता का संचालन स्वयं उसके द्वारा एकल नाम से अथवा अभिभावक द्वारा किया जा सकता है। 'दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी' की परिचालन विधि के अंतर्गत दो वयस्को को संयुक्त नाम से अथवा एक वयस्क और एक अवयस्क को सन्युक्त नाम से जमा जारी किया जा सकता है। संयुक्त नाम से किए गए जमा में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के अधीन आय में कटौती हेतु राशि की सुविधा प्रथम जमाकर्ता को होगी।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु अतिरिक्त ब्याजदर की सुविधा इस योजना में भी उपलब्ध होगी। कर बचत योजना खाता या तो मियादी जमा के रूप में खोला जा सकता है जहां ब्याज का भुगतान त्रैमासिक होगा अथवा पुनर्निवेश योजना के रूप में जहां ब्याज का भुगतान परिपक्वता पर किया जाएगा। तथापि, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इन सावधि जमाओं पर देय ब्याज पर वार्षिक उपचित अथवा प्राप्ति के आधार पर कर देय होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 194 ए या धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती होगी।

12. युनाइटेड आनंद जमा:

ग्राहक की सुविधा के उद्देश्य से एक बहु इकाई जमा योजना जिसमें इकाइयों में मियादी जमा और ओवरड्राफ्ट की तत्काल सुविधा है। व्यक्ति, एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान, साझेदारी प्रतिष्ठान, संघ, सोसायटी, न्यास व कम्पनी इसके लक्ष्य समूह होंगे। रु. 10000/- का प्रारंभिक जमा और उसके बाद बिना किसी अधिकतम सीमा के रु. 1000/- के गुणक में। बाद में रु. 1000/- के गुणक में बिना किसी अधिकतम सीमा के रु. 5000/- का न्यूनतम जमा। न्यूनतम 12 माह और अधिकतम 60 माह की जमा अवधि।

रिवर्स स्वीप: अपरिपक्व निकासी के मामले में, पूरी राशि को प्रभावित किए बिना रु. 1000 / -के गुणक में आंशिक राशि स्वीकृत होगी। जमा का अंतिम भाग केवल प्रभावित होगा। ग्राहक को जमा रसीद/प्रमाण पत्र की जगह विशेष रूप से तैयार पासबुक जारी होगी। समानांतर में शून्य शेष और पासबुक सुविधा के साथ एक चालू खाता खुलेगा। ओवरड्राफ्ट की अधिकतम अनुमेय राशि मियादी जमा का 90% होगा। परिवर्तनीय ब्याज दरों के साथ अलग-अलग तिथियों में किए गए जमा पर लिए गए ओवरड्राफ्ट के मामले में ओवरड्राफ्ट पर ब्याज जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर पर भारित औसत दर के साथ संबद्ध किया जाएगा।

13. आवर्ती जमा:

व्यक्तिगत आवर्ती जमा व्यक्तियों द्वारा एकल या अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से खोला जाएगा। किसी अवयस्क के नाम से खोला गया आवर्ती जमा उसके स्वभाविक अथवा विधिक अभिभावक/निरक्षर व्यक्ति/दृष्टिबधित व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। आवर्ती जमा 12 से 120 माह हेतु एक मियादी जमा खाता है। इस खाते में रु. 50/- या उसके गुणक में निश्चित मासिक किश्त में जमा स्वीकार किया जाता है। देय ब्याज स्रोत पर कर कटौती के अधीन होगा।

14. युनाइटेड फ्लेक्सी जमा योजना:

यह मासिक किश्तों में लचीलापन के साथ आवर्ती जमा योजना है। यह खाता किसी व्यक्ति द्वारा एकल या संयुक्त रूप से किया जा सकता है। मूल मासिक किश्त रु. 500/- है। कभी भी एक माह में मासिक किश्त मूल किश्त की राशि के दस गुणा से अधिक नहीं होगी।

15. पुनर्निवेश योजना:

पुनर्निवेश योजना मियादी जमा खाता के समान है और इसकी औपचारिकताएं, लक्ष्य समूह मियादी जमा जैसा है, किंतु मियादी जमा के विपरीत त्रैमासिक अंतराल पर जोड़ा गया चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के साथ परिपक्वता पर देय है। यह प्रमाणपत्र रु 1000/- या उससे अधिक रु. 500/- के गुणकों में क्रय किया जा सकता है। पुनर्निवेश योजना के अंतर्गत खाता पूरी तिमाही सहित 6 माह से 120 माह के लिए खोला जा सकता है।

(विभिन्न जमा योजनाओं में राशि की विशेषताएं एवं पात्रता बैंक के विवेकाधिकार से परिवर्तित की जा सकती है।)

DEPOSIT POLICY FOR THE YEAR 2018-19

1. Preamble

One of the important functions of the Bank is to accept deposits from the public for the purpose of lending. In fact, depositors are the major stake holders of the Banking system. The depositors and their interests form the key area of the regulatory framework for banking in India and this has been enshrined in the Banking Regulation Act, 1949. The Reserve Bank of India is empowered to issue directives/ advices on interest rates on deposits and other aspects regarding conduct of the deposit accounts from time to time. With liberalization in the financial system and deregulation of interest rates, Bank is now free to formulate deposit policy within the broad guidelines issued by RBI.

This Policy document on deposits outlines the guiding principles in respect of formulation of various deposit products by the Bank and terms and conditions governing the conduct of the account. The document recognizes the rights of depositors and aims at dissemination of information with regard to various aspects of acceptance of deposits from the members of the public, conduct and operations of various deposit accounts, payment of interest on various deposit accounts, closure of deposit accounts, method of disposal of deposits of deceased depositors, etc, for the benefit of the customers. It is expected that this document will impart greater transparency in dealing with the individual customers and create awareness among customers of their rights. The ultimate objective is that the customer will get services they are rightfully entitled to receive without demand.

While adopting this policy, the bank reiterates its commitments to individual customers outlined in code of Banks Commitment to Customer adopted by the Bank. This document is a broad framework under which the rights of common depositors are recognized. Detailed operational instructions on various deposit schemes and related services will be issued from time to time.

2. Types of Deposit Accounts.

While various deposit products offered by the Bank are assigned different names. The deposit products can be categorized broadly into the following types. Definition of major deposit schemes is as under:-

- i) “Demand Deposits”** means a deposit received by the Bank, which is withdrawable on demand;
- ii) “Savings deposits”** means a form of demand deposit which is subject to restrictions as to the number of withdrawals as also the amounts of withdrawals permitted by the Bank during any specified period;
- iii) “Term Deposits”** means a deposit received by the Bank for a fixed period withdrawable normally after the expiry of the fixed period and includes deposits such as Recurring/ Double Benefit deposits/ Reinvestment Plan/ Cash Certificates/ Fixed Deposits with monthly/quarterly interest etc.
- iv) “Notice Deposit”** means term deposit for specified period but withdrawable on giving at least one complete banking day’s notice;

v) “Current Account” means a form of demand deposit, attracting no interest, wherefrom withdrawals are allowed any number of times depending upon the balance in the account or up to a particular agreed amount, attracting payment of no interest and will also include other deposit accounts which are neither Savings Deposit nor Term Deposit.

vi) Different deposit schemes & products.

Based on customers’ need, market conditions, competition and other driving forces, Bank is presently offering seventeen deposit products under five deposit schemes which are listed below:

SCHEMES / PRODUCT

Savings Bank

1. United Savings Bank
2. United Bonanza Savings
3. United Capital Gain Accounts (Account-A type)
4. United Children Savings Account
5. United Basic SB Account.

Current Deposit

1. United Current Deposit Account
2. United Bonanza Current Deposit Account
3. United Gold & Platinum Current Deposit Account
4. United Premium Current Account

Fixed Deposit

1. United Fixed Deposit
2. United Tax Savings Income Plan-FD type
3. United Anand Deposit

Recurring Deposit

1. United Recurring Deposit
2. United Flexi Deposit

Re-Investment Plan (RIP)

1. United Reinvestment Plan
2. United Tax Savings Growth Plan-RIP type
3. United Capital Gains Accounts (Account-B type)

Distinctive features & target group of different deposit products are summarized in Appendix-A

To meet the customer’s need, market requirement or regulatory instruction, Bank may at its discretion formulate different new deposit products suited for cross section of the customers, which will be examined by the Asset-Liability Committee (ALCO) and may be launched from time to time.

vii) Non-resident Accounts

Non-Resident Indians/ Persons of Indian origin can open deposit accounts viz. Non-resident Ordinary Rupee Account (NRO), Non-Resident(External) Rupee Account (NRE), Foreign Currency Non-resident (Bank) Account (FCNR(B) with any of our 'B' & 'C' category Authorised Dealer Branches. Any person resident outside India, having a business interest in India, may open Special Non-Resident Rupee (SNRR) Account in Indian Rupee with branches for the purpose of putting through bona fide transactions in rupees. Resident/Non- Resident acquirers and non-resident corporate may open Escrow Account in INR with a branch as an escrow agent. Also all the branches to open and maintain Non Resident Indian (NRI) deposit accounts namely Non Resident External Rupee (NRE) Deposit accounts and Non Resident Ordinary (NRO) Deposit accounts denominated in Indian Rupees.

For KYC provision related to opening of Non-resident Accounts, KYC Policy of the bank may be referred.

3. Account Opening and Operation of Deposit Accounts

A) The Bank before opening any deposit account will carry out due diligence as required under “Know Your Customer” (KYC) guidelines issued by the RBI, Anti-Money laundering rules and regulations and or such other norms or procedures as per Customer Acceptance norms of the Bank under Bank’s KYC policy. If the decision to open an account of a prospective depositor requires clearance at a higher level, reasons for any delay in opening of the account will be informed to him and the final decision of the Bank will be conveyed at the earliest to him.

Note: – (i) No account of new individual customer should be opened without obtaining duly filled-in and signed CKYCR / KYC application form.

(ii) KYC policy of the Bank may be referred for detailed guidelines.

(iii) Standard Procedures to be followed for opening New Accounts.

B) The Bank is committed to provide basic banking services to disadvantaged section of the society. Banking services will be offered to them through Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDA) and Small Savings Accounts which will be opened with relaxed customer acceptance norms as per regulatory guidelines.

C) The account opening forms and other materials would be provided to the prospective depositor by the Bank. The same will contain details of information to be furnished and the documents to be produced for verification and or for record. The bank official opening the account will explain the procedural formalities and provide necessary clarification sought by the prospective depositor when he/she approaches for opening a deposit account.

D) The regulatory guidelines require banks to categorize customers based on risk perception and prepare profiles of customers for the purpose of transactions monitoring. Inability or unwillingness of a prospective customer to provide necessary information/ details could result in the Bank not opening an account.

For detailed guidelines on risk Categorization, the Bank’s KYC Policy may be referred.

E) Inability of an existing customer to furnish details required by the Bank to fulfill statutory obligations could also result in closure of the account after due notice(s) is provided to the customer.

F) For Deposit products like Savings Bank Account and Current Deposit Account, the Bank will normally stipulate certain minimum balances to be maintained as part of terms and conditions governing operation of such accounts. Failure to maintain minimum balance in the account will attract levy of charges as specified by the Bank from time to time. For Savings Bank Account, the Bank may also place restrictions on number of transactions, cash withdrawals etc. for given period. Similarly, **for savings and current account**, the Bank may specify charges for issue of cheque books, additional statement of accounts, duplicate passbook, folio charges etc. All such details, regarding terms and conditions for operation of the account and schedule of charges for various services provided will be communicated to the prospective depositor while opening the account.

G) Savings Bank accounts can be opened for eligible person/persons and certain organizations/agencies (as advised by Reserve Bank of India from time to time).

Bank has introduced “Online Saving Bank account opening application “for our prospective customers through which customers can fill-in online form and visit Branch only for KYC verification and putting signature on application form / signature card. Customers willing to open account are required to fill up the form online by visiting Bank's website www.unitedbankofindia.com

Following type of SB accounts can be opened online:

- i. United Bonanza Savings (SBBNZ)
- ii. Saving Bank account with Cheque Book (SBCHQ)
- iii. Saving Bank account without Cheque Book (SBWSL)
- iv. United SB account (SBUBS)
- v. United Children Saving (SBUCS)

H) Current Accounts can be opened by individuals/proprietorship concern/ partnership firms/ Private and Public Limited Companies/ HUFs/ Specified Associates/ Societies/Trusts, Department of Authority created by Government (Central or State) Limited Liability Partnership etc.

I) Term Deposit accounts can be opened by individuals/ proprietorship concern/ partnership firms/Private & Public limited Companies/HUFs/Specified Associates/ Societies/ Trusts/ Departments of Authority created by Government (Central or State)/Limited Liability Partnership etc.

The existing customer may open Term Deposit account online through the e-banking facility of our bank by visiting bank's web site www.unitedbankofindia.com

J) The due diligence process, while opening a deposit account will involve satisfying about the identity of the person, verification of address, satisfying about his occupation and source of income. **The Bank shall obtain** recent photograph of all the person/s opening/operating the account as part of due diligence process. **Fresh photograph need not be obtained when an additional account is desired to be opened by the account holder, provided photograph has already been submitted.**

K) In addition to the due diligence requirements, under KYC norms, the Bank is required by law to obtain Permanent Account number (PAN) or alternatively declaration in Form No.60 specified under the Income Tax Act/Rules and PMLA Rules amended vide notification dated 1st

June 2017 and subsequent amendments (and thereafter subject to the final judgment of the Hon'ble Supreme Court).

L) Deposit accounts can be opened by an individual in his own name (known as account in single name) or by more than one individual in their own names (known as joint account).

M) Operation of joint account: The joint account opened by more than one individual can be operated by single individual or by more than one individual jointly. The mandate for opening the account can be modified with the consent of all account holders. The Savings Bank Account opened by minor jointly with natural guardian/ guardian can be operated by such guardian only.

The joint account holders can give any of the following mandates and the disposal of balance in the above accounts on death of one ,more or all of the account holders will be done as detailed in para 15 of this policy :

- i.
i. Either or Survivor : If the account is held by two individuals say, A & B, the account will be operated by any one of 'A' or 'B' singly.
- ii. Former or Survivor :** If the account is held by two individuals , say, A & B , the account will be operated by the Former (i.e. 'A') only.
- iii. Joint Operation :** If the account is held by more than one individual , say, A & B , the account will be operated jointly by 'A' & 'B'.
- iv. Anyone or Survivor/s :** If the account is held by more than two individuals, say, A, B & C, the account will be operated by any one of them (i.e. A or B or C) singly.

The above mandates will be applicable to or become operational only on or after the date of maturity of term deposits. This mandate can be modified by the consent of all the account holders.

If the joint depositors prefer premature withdrawal of deposits in accordance with the mandate of 'Either or Survivor', 'Anyone or Survivor' or 'Former or Survivor', bank may allow premature withdrawal of term deposits to the surviving depositor/s without seeking concurrence of legal heirs of the deceased deposit holder, provided all the depositors have given a specific joint mandate for the said purpose at the time of opening the account or any time subsequently during the tenure of the deposit.

N) At the request of the depositor, the Bank will register mandate/ power of attorney given by him authorizing another person to operate the account on his behalf.

O) The Term deposit account holders at the time of placing their deposits can give instructions with regard to closure of deposit account or renewal of deposit for further period on the date of maturity. In absence of such mandate, the Bank will seek instructions from the depositor/s as to the disposal of the deposit by sending SMS before 15 days of the maturity date of term deposit. In case any instruction is not received from depositor/s, deposits will be treated as an auto renewal deposit and would be renewed for a similar period as that of matured deposit. Bank will send SMS to customers on the maturity date, in case the account has been auto- renewed. Auto-renewal will not be available in Recurring Deposits and Tax Savings Deposits.

P) Nomination facility is available on all deposit accounts opened by individuals. Nomination is also available to an account opened by a sole proprietor. Nomination can be made in favour of one individual only. Nomination so made can be cancelled or changed by the account holder/s at any time. While making nomination, cancellation or change thereof, it is required to be witnessed by two third parties, if the account holder is illiterate. Nomination can be modified by

the consent of account holder/s. Nomination can be made in favour of a minor also. In such cases at the time of making nomination, depositor has to give a name of person (called appointee) who is a major and will receive the amount of deposit on behalf of the nominee in the event of death of the account holder during the minority of the nominee.

Q) Bank recommends that all depositors avail nomination facility. The nominee, in the event of the death of the depositor/s, would receive the balance outstanding in the account as a trustee of legal heirs. The depositor will be informed of the advantage of the nomination facility while opening a deposit account.

R) Generally, Bank will invariably issue Passbook to all Savings Bank Account holders and Statement of Accounts to all Current Deposit holders. The Passbook/statement of account will be printed in font size Arial-10.

Bank will issue term deposit receipt indicating therein full details, such as , name of depositor(s), address, date of issue, period of deposit, due date, applicable rate of interest etc.

S) Normally, a statement of account will be issued on monthly basis to a Current account holder, without any cost. Periodicity for issuance of statement of account may be mutually agreed and altered also. A Current account holder, if desires to get a Pass Book instead of Statement of Account, he will be issued a Pass Book. If he desires to get additionally any statement of account, besides the passbook the same may be issued against levy of service charges. Internet banking user can download statement of account by himself free of cost.

The passbook will invariably contain (i) full address of the branch, (ii) telephone number of the branch, (iii) customer care telephone number (iv) brief intelligible particulars in respect of details of credit entries with instrument number and name of the drawee branch and details of debit entries with instrument number and payee's name. Details of ECS, NEFT, and RTGS transactions will be indicated with name of the remitter in case of credit and name of the payee in case of debit entries.

T) Intra-bank portability of deposit accounts

If the customer so desires with a request letter to the base branch, any deposit account of the customer will be transferred freely from one branch to another branch of the bank without any cost on the same day of receiving the request. In core banking solution, each customer has unique account number and it remains unchanged on transfer of the account from one branch to another branch of the Bank.

KYC once done by one branch of the bank will be valid for transfer of the account within the bank as long as full KYC has been done for the concern account. The customer should be allowed to transfer his account from one branch to another branch without insisting on fresh proof of address and on the basis of a self declaration from the account holder about his / her current address, subject to submitting proof of address within a period of six months. Periodical updation of KYC data would continue to be done by bank as per prescribed periodicity.

U) Door Step Banking services for Senior Citizens and Differently Abled Persons

For detailed guidelines of Door Step Banking services for Senior Citizens and Differently Abled Persons, Circular No.- OPS/CS/37/OM-524/18-19 dated 08.11.2018 may be referred.

4. Interest Payments

i) With the deregulation of Savings Bank Deposit interest Rate announced by the Reserve Bank of India on 25.10.2011, interest rate on Term Deposits as well as Savings Bank deposit are decided by the Bank through Asset-Liability Committee (ALCO) mechanism within the general guidelines issued by the RBI from time to time.

ii) In terms of Reserve Bank of India directives, interest shall be calculated at quarterly intervals on term deposits and paid at the rate decided by the Bank depending upon the period of deposits. Interest on deposits repayable for less than 3 months or where the terminal quarter is incomplete, interest shall be paid proportionately for the actual number of days reckoning the year at 365 days. In case of monthly deposit schemes, the interest shall be calculated for the quarter and paid monthly at discounted value. The interest on term deposit is calculated by the Bank in accordance with formulae and conventions advised by Indian Banks' Association.

iii) Interest is calculated on a daily basis on the daily closing balance in SB account at the rate in force in accordance with Bank's policy effective from 01.04.2010. The accrued interest is paid to the customer's account on a quarterly basis.

iv) The rate of interest on deposits will be prominently displayed in the branch premises. Changes, if any, with regard to the deposit schemes and other related services shall also be communicated upfront and shall be prominently displayed.

The Bank has statutory obligation to deduct tax at source if the total interest paid/ payable on all term deposits held by a person exceeds the amount specified under the Income Tax Act. The Bank will issue a tax deduction certificate (TDS certificate) for the amount of tax deducted.

The depositor, if entitled to exemption from TDS can submit declaration in prescribed format (15H & 15G) at the beginning of every financial year.

5. Minors' Accounts.

i) Saving Bank account and Term Deposit Accounts including Recurring Deposits can be opened in the name of minor (known as Minor's Account) by natural guardian or guardian appointed by court (legal guardian). Savings Bank Account or Term Deposit Account can also be opened in the name of a minor jointly with natural guardian or with mother as the guardian (known as Minor's Account) or jointly with a major, where minor is represented by natural guardian.

ii) Minors above the age of 10 years- Bank may allow to open and operate savings bank account independently. Bank may offer additional banking facilities like internet banking, ATM/ debit card, cheque book facility etc., subject to the safeguards that minor accounts are not allowed to be overdrawn and that these always remain in credit. KYC norms & due diligence of minor should be ensured while opening and operating these accounts.

iii) On attaining majority on the same day account should be inoperative till the time customer converts the minor account to major with required KYC documents. Bank will initiate the prior communication to Minor accounts that would attain to majority. The erstwhile minor should confirm the balance in his/her account and if the account is operated by the natural guardian / guardian, fresh specimen signature of the erstwhile minor duly verified by the natural guardian would be obtained and kept on record for all operational purposes.

iv) However, savings & term deposit including Recurring Deposit account can also be opened in the name of minor by mother alone as guardian even if the natural guardian is alive (when ever such requests are received by the bank) subject to the following conditions:

- a) The account will always remain in credit balance & will not be allowed to be overdrawn under any circumstances.
- b) Term Deposit accounts can be opened for a period of not more than 10 years. However, exception will be made in terms of orders of a competent court, in case of minors where interest of minor's is involved and for creation of funds such as sinking fund, amortization fund, etc.

6. Account of illiterate/Visually challenged person.

6A. Account of illiterate person.

The Bank may at its discretion open deposit accounts other than Current Accounts of an illiterate person. The account of such person may be opened provided he/she calls on the Bank personally along with a witness who is known to both the depositor and the Bank. Normally, no cheque book facility is provided for such Savings Bank account. At the time of withdrawal/repayment of deposit amount and/or interest, the account holder should affix his/her thumb impression or mark in the presence of the authorized officer who should verify the identity of the person. The Bank will explain the need for proper care and safe keeping of the passbook etc. given to the account holder. The Bank official shall explain the terms and conditions governing the account to the illiterate person

6B. Account of Visually challenged person

Bank will facilitate opening of Saving Bank accounts as well as Term Deposit accounts of persons with visual impairment. In case of illiterate persons, such accounts will be operated by the account holder personally and such account holders will have to be present before the branch official and affix thumb impression and they will be identified through their photograph to facilitate operations.

The bank should allow all the banking facilities including cheque book facility, ATM facility, Net banking facility, Locker facility, retail loans, credit cards etc., to the visually challenged persons without any discrimination. The Bank will explain the need for proper care and safe keeping of the passbook, cheque book, ATM card etc. given to the account holder. The Bank official shall explain the terms and conditions governing the account to the visually challenged person.

7. Account of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation & multiple disabilities

Savings bank and term deposits can also be opened in the name of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities by the legal guardian appointed by the District Court under Mental Health Act, 1987 or by the Local Level Committees set up under the National Trust for welfare of persons with autism, cerebral palsy, mental retardation and multiple disabilities under Disabilities Act, 1999. Legal guardian, so appointed, will furnish an indemnity-cum-undertaking bond duly stamped as per the local law in force along with Guardianship Certificate.

8. Addition or deletion of the name/s of joint account holders

The Bank may at the request of all the joint account holders allow addition or deletion of name/s of joint account holder/s if the circumstances so warrant or allow an individual depositor to add the name of another person as a joint account holder.

In case of addition of the name , photograph should be obtained and full KYC should be done for the person whose name is added.

9. Customer Information

The customer information collected from the customers shall not be used for cross selling of services or products by the Bank, their subsidiaries and affiliates. If the Bank proposes to use such information, it should be strictly with the consent of the account holder.

10. Secrecy of customer's accounts

The Bank will not disclose details/particulars of the customer's account to a third party or person without the expressed or implied consent from the customer. However, there are some exceptions, viz disclosure of information under compulsion of law, where there is a duty to public to disclose and where interest of the Bank requires disclosure.

11. Premature withdrawal of term deposit.

The Bank on request from the depositor, *shall allow withdrawal of Rupee Term Deposit below Rs 1.00 crore* before completion of the period agreed upon at the time of placing the deposit. The Bank has declared their penal interest rates policy for premature withdrawal of term deposit and will review the same from time to time. The Bank will make depositors aware of the applicable rate along with the deposit rate. If Term Deposit is closed prematurely within 7 days from the date of deposit, No interest will be paid. If closed prematurely beyond 7 days and withdrawn the deposit, 1% penalty will be levied on the rate of interest applicable for the period the deposit remained with the Bank.

The Bank, at it's discretion, may disallow premature withdrawal of Term Deposits in respect of bulk deposit of Rs 1.00 Crore and above of all depositors, including deposits of individuals and HUFs. The Bank, however, should notify its such option of disallowing such premature withdrawal in advance to the depositor at the time of accepting such deposits.

12. Premature renewal of Term Deposit.

In case the depositor desires to renew the deposit by seeking premature closure of an existing term deposit account, the Bank will permit the renewal at the applicable rate on the date of renewal, provided the deposit is renewed for a period longer than the balance period of the original deposit. While prematurely closing a deposit for the purpose of renewal, interest on the deposit for the period it has remained with the Bank will be paid at the rate applicable on the date of deposit to the period for which the deposit remained with the Bank and not at the contractual rate, subject to the following conditions.

a. If prematurely withdrawn for reinvesting the deposit for a period longer than the residual period of the original deposit, interest will be paid at the rate applicable on the date of original deposit for the period for which the deposit remained with the Bank, without applying any penalty of 1%.

b. If the term deposit is renewed by premature withdrawal for a period shorter than the residual period of the original deposit, penalty will be charged @ 1%.

13. Renewal of overdue Term Deposits.

When a term deposit is renewed on maturity, on renewed deposit interest rate for the period specified by the depositor as applicable on the date of maturity would be applied. If the request for renewal is received after the date of maturity, such overdue deposits will be renewed with effect from the date of maturity at interest rate applicable as on the due date, provided such request is received within 14 days from the date of maturity. In respect of overdue deposits renewed after 14 days from the date of maturity, interest for the overdue period will be paid at the rates decided by the Bank from time to time. If an overdue term deposit receipt is presented for encashment, simple interest for the overdue period at Savings Bank rate will be paid by the Bank.

14. Advances against deposits.

The Bank may consider request of the depositor/s for loan/overdraft facility against term deposits duly discharged by the depositor/s on execution of necessary security documents. The Bank may also consider loan against deposit standing in the name of minor (**operated by guardian**), however, a suitable declaration stating that loan is for the benefit of the minor, is to be furnished by the depositor applicant (**i.e. guardian of the minor who is operating the account**).

Note- Bank has now introduced the facility of availing Demand loan against Term Deposit of RIP nature through internet banking for retail Customers.

15. Settlement of dues in deceased deposit account.

Settlement of claims for Deceased Accounts can be done with reference to the Circular no. O&M / MUTATION/5/OM-043/12-13 dated 20.04.2012.

The claims in respect of deceased depositors and release of payments to survivor(s)/nominees will be made within a period not exceeding 15 days from the date of receipt of the claim subject to the production of proof of death of the depositor and suitable identification of the claimant(s) to the bank's satisfaction.

The settlement in different accounts can be done as under :-

A. Settlement of claim in Savings Account / Current Account :-

A(i) – Single Account with Nomination :-

The balance outstanding (with up-to-date interest , if applicable) will be paid to the nominee on verification of his/ her identity and proof of death of the depositor and also on submission of the required papers/ documents.

A(ii) – Single Account without Nomination :-

The balance outstanding (with up to date interest , if applicable) will be paid to the legal heirs (or any one of them as mandated by all the legal heirs) on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositor and also on submission of the required papers/ documents.

A(iii)- Joint Account without survivorship mandate (operated jointly)- With Nomination :-

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with up to date interest , if applicable) will be paid jointly to the survivor(s) and the legal heirs of the deceased joint account holder (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositor and also on submission of the required papers / documents.
- (b) In the event of death of both / all joint account holders, the balance outstanding (with up to date interest , if applicable) will be paid to the nominee on verification of his/her identity and proof of death of the depositors and also on submission of the required papers / documents.

A(iv)- Joint Account without survivorship mandate (operated jointly)- Without Nomination :-

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with up to date interest , if applicable) will be paid jointly to the survivor(s) and the legal heirs of the deceased joint account holder (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositor and also on submission of the required papers / documents.
- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with upto date interest , if applicable) will be paid jointly to the legal heir(s) of all the deceased depositors (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositors and also on submission of the required papers / documents.

A(v) – Joint Account with mandate “Either or Survivor” / “Former or Survivor” / “Anyone or Survivors” - With Nomination

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with upto date interest , if applicable) will be paid to survivor(s) on verification of proof of death of depositor and also on submission of the required papers / documents.
- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with upto date interest , if applicable) will be paid to the nominee on verification of his/ her identity and proof of death of the depositors and also on submission of the required papers / documents.

A(vi)- Joint Account with mandate “Either or Survivor” / “Former or Survivor” / “Anyone or Survivors” - Without Nomination

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with up-to-date interest, if applicable) will be paid to survivor(s) on verification of proof of death of depositor and also on submission of the required papers / documents.

- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with up-to-date interest , if applicable) will be paid jointly to the legal heir(s) of all the deceased depositors (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositors and also on submission of the required papers / documents.

B. Settlement of claim in Term Deposit Accounts :-

B(i) Single Account – With Nomination:-

The balance outstanding (with applicable interest) will be paid to the nominee on verification of his / her identity and proof of death of depositor on maturity and also on submission of the required papers / documents .

Premature closure of the term deposit will also be permitted at the request of the nominee.

B(ii) Single Account – Without Nomination:-

The balance outstanding (with applicable interest) will be paid to the legal heirs (or any one of them as mandated by all the legal heirs) on verification of the identity of the legal heirs and proof of death of depositor on maturity and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted on joint request by all legal heirs (or any of them as mandated by all the legal heirs).

B(iii) Joint Account without survivorship mandate (operated jointly)- With Nomination :-

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid jointly to the survivor(s) and the legal heirs of the deceased joint account holder (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositor on maturity of the deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted against joint request of the survivor(s) and the legal heir(s) (or any one of them as mandated by all legal heirs)

- (b) In the event of death of both / all joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid to the nominee on verification of his / her identity and proof of death of the depositors on maturity of the deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted at the request of the nominee.

B (iv) Joint Account without survivorship mandate (operated jointly)- Without Nomination

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid jointly to the survivor(s) and the legal heirs of the deceased joint account holder (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositor on maturity of the deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted against joint request of the survivor(s) and the legal heir(s) (or any one of them as mandated by all legal heirs).

- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid jointly to the legal heir(s) of all the deceased depositors (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositors on maturity of the deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted against joint request by all the legal heir(s) of the deceased depositor (or any one of them as mandated by all legal heirs).

B (v) – Joint Account with mandate “Either or Survivor” / “Former or Survivor” / “Anyone or Survivors” / “Latter or Survivor” - With Nomination

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid to survivor(s) on verification of proof of death of depositor on maturity of deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted at the request of the survivor(s).

- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid to the nominee on verification of his/ her identity and proof of death of the depositors on maturity of deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted at the request of the nominee

B(vi) – Joint Account with mandate “Either or Survivor” / “Former or Survivor” / “Anyone or Survivors” / “Latter or Survivor” - Without Nomination

- (a) In the event of death of one (or more but not all) of the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid to survivor(s) on verification of proof of death of depositor on maturity of deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted at the request of the survivor(s).

- (b) In the event of death of both / all the joint account holders, the balance outstanding (with applicable interest) will be paid jointly to the legal heir(s) of all the deceased depositors (or any one of them as mandated by all the legal heirs) against their joint claim on verification of the identity of the legal heirs and proof of the death of the depositors on maturity of the deposit and also on submission of the required papers / documents.

Premature closure of the term deposit will also be permitted against joint request by all the legal heir(s) of the deceased depositor (or any one of them as mandated by all legal heirs).

16. Interest payable on term deposit in deceased account

In the event of death of the depositor before the date of maturity of deposit and amount of the deposit is claimed after the date of maturity, the Bank shall pay interest at the contracted rate till the date of maturity. From the date of maturity to the date of payment, the Bank shall pay simple interest at the applicable rate operating on the date of maturity, for the period for which the deposit remained with the Bank beyond the date of maturity; as per Bank's policy in this regard.

If the amount of deposit is claimed before the date of maturity, interest at the rate applicable to the period for which the deposit has remained with the bank will be paid.

However, in the case of death of the depositor after the date of maturity of the deposit, the Bank shall pay interest at Savings deposit rate operating on the date of maturity from the date of maturity till the date of payment.

17. Automatic conversion of status of accounts

The fully KYC compliant accounts will automatically be converted into a 'Senior Citizen Account' on the basis of date of birth available in bank's records.

18. Insurance cover for deposits.

All Bank deposits are covered under the insurance scheme offered by Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India (DICGC) subject to certain limits and conditions. The details of insurance cover in force will be made available to the depositor.

Bank while offering deposit products linked to insurance benefits will give choice to the customer for availing the insurance benefit and will explicitly specify the insurance cost if the depositor opts for insurance cover.

19. Stop payment facility.

The Bank will accept stop payment instruction from the depositors in respect of cheques issued by them, if such request is received from the drawer prior to presentment of such cheques at the Bank. Charges, as specified, will be recovered from the depositor account holder.

20. Dormant Accounts.

Accounts which are not operated for a period of two years will be transferred to a separate dormant/ inoperative account status in the interest of the depositor as well as the Bank. The depositor will be informed of charges, if any, which the Bank will levy on dormant / inoperative accounts. The depositor can request the Bank to activate the account for operating it after complying with the conditions as per KYC norms. The account will be activated free of charge.

21. Accounts of Transgender persons

In case of a person claiming to be transgender and needs to open account or to do any banking transaction, the person will be recognized as "Third Gender" and the details shall be accepted in the Account opening forms/ or other applicable forms as such.

The salutation of such person shall be "Mx"

All transgender customers shall be treated equally to other male/ female customers without any discrimination.

22. Closure/freezing of the Account

The Bank reserves the right to close or freeze the accounts of the depositor, after due notice to the customers for reasons which may include, but not limited to, the following:

1. In case any of the documents furnished towards identity and address proof are found to be fake/forged/defective,
2. The Account opening cheque is returned unpaid for financial reasons/signature not matching.
3. In case fraudulent/forged/ fake cheques/ bank drafts or any such instruments are attempted to be cleared/cleared through the accounts.
4. In case of frequent return of inward/outward cheques in the account.
5. Any false /misleading information given or suppression of any material fact.
6. Detection of the name of the account holder in prohibitory list.
7. Unsatisfactory conduct of the account in terms of volume/type of transactions, non maintenance of minimum balance etc. Non-intimation of change in communication address leading to customer's whereabouts being unknown.
8. In case a debit balance for reasons, including but not limited to, non-repayment in case of facilities offered by the Bank, where repayment is to be made through customer's account, reversal of wrong credit, any temporary overdraft granted to the customers by the bank in relation to any facility or otherwise, etc. is allowed to continue for more than 90 days in the Account.

23. Closure of the account requested by the customer.

When the customer desires to close the account, a written request under the recorded signature of the customer, addressed to the base branch should be sent by the customer accompanied with the Passbook (if issued) and all unused cheque leaves. The debit card/ATM card issued in the account also should be surrendered. In case of partnership firm and joint account, the letter of request should be signed by all the partners and all the account holders, respectively.

In case of limited companies, a board resolution authorizing closure of the account is required. In case of Term Deposit account duly discharged term deposit receipt is to be submitted to the branch for closure of the account. If the customer so desires, the Passbook (if issued) with amply branded as "Account Closed" may be retained by the customer. The balance standing to the credit of such account with interest will be paid to the customer after recovery of all bank dues, charges and deduction of taxes applicable as per the provisions of Income Tax Act.

24. Redressal of complaints and grievances.

Depositors having any complaint / grievance with regard to services rendered by the Bank have a right to approach Authorities designated by the Bank for handling customer complaint /grievances.The details of the internal set-up for redressal of complaints / grievances will be displayed in the Branch premises. The branch officials shall provide all required information regarding procedure for lodging the complaint. In case the depositor does not get response from the Bank within 30 days from date of complaint or he/she is not satisfied with the response received from the Bank, he/she has a right to approach Banking Ombudsman appointed by the Reserve Bank of India.

Distinctive features of different Deposit Accounts

1. Savings Bank Account: A Savings Bank Account is the most common operating account for individuals and others for non-commercial transactions. SB account can be opened in the name of an individual or in the name of two or more individuals. In case of joint account, it can be operated jointly or severally, with either or survivor or former or survivor clause. Account may be opened in the name of a minor, to be operated by natural guardian. Minor above the age of 10 years can operate account individually. An illiterate person can also open account jointly with illiterate or literate but the literate will be the survivor. A Visually Challenged Person may also open the account. Account can be opened by a club, a society or an association. Nomination facility is available. Amount may be withdrawn either by cheques or withdrawal slip. Amount to be withdrawn by withdrawal slip by self Rs.20,000/-, whereas illiterate customer may withdraw any amount without ceiling through withdrawal slips since cheque book facility is not allowed in illiterate accounts. The clause of minimum balance and penalty for non-maintenance is attracted in SB Accounts. KYC norms will be applied.

Bank will not open accounts for the organizations notified under Prevention of Terrorist Act 2002, UNSCR list , Al- Qaida Sanctions list.

2. United Bonanza Savings Scheme. A Saving scheme which combines liquidity of Savings Bank and interest of Fixed Deposit Account. Under the Scheme, a depositor will open a Savings Bank Account with an in-built arrangement of transferring balance over a specified limit to Fixed Deposit Account automatically for a specified period to be stipulated by the account holder and earn interest at Term Deposit rate. KYC norms will be applied.

3. United Capital Gain Account Scheme : A deposit or deposits may be made under the provisions of section 54, 54B, 54D, 54F or 54G of the Income Tax Act, 1961 by any depositor intending to avail of the benefit under the said section or sections of the Act, as the case may be, in accordance with the provisions of this scheme.

Two types of accounts can be opened under this Scheme, viz, Account-A and Account-B. Account-A shall be in the form of Savings Deposit and Account-B in the form of Term Deposits. The tax payers can avail of the benefit of exemption from Capital Gains, only if the amount of Capital Gains or the net consideration is deposited with the Bank on or before their due date of filing return of income. All of our branches, other than branches classified as 'rural' are authorized to open accounts and accept deposits under this scheme. KYC norms will be applied.

4. United Children Savings Account : United Children Savings Account may be opened by the children completing the age of 10 years or above and can be operated independently. The illiterate children are not eligible to open account under this scheme. The account is to be opened in single name of minor children. A minor attains majority at 21 years when he/she is under a guardian appointed by Court and in all other cases a minor attains majority at 18. On attaining majority, the account may be converted to normal SB account, by obtaining a new photograph. Under this scheme initial minimum deposit and amount of minimum balance in the account is Rs.50/- only. KYC norms will be applied.

5. Basic SB Account : Any un-banked population segment uptill denied basic banking facilities due to stipulation of minimum balance requirements and levying of service charges, can open Basic SB Account or no-frill accounts. The target group will include low income families in

rural/urban areas, migratory labourers, industrial/agricultural labourers in rural/urban areas, non-pensioner senior citizens. The account can be opened and maintained with zero balance. Restrictions of small accounts as per notification of Govt. of India will be applied in this SB account.

6. United Current Deposit Account: This is one of the most basic and flexible deposit options, allowing transactions without limiting the numbers. Individuals (except an illiterate, an undischarged solvent and a lunatic), sole proprietorship concern, partnership firm, private and public limited companies, HUFs, local body, club, society, associations, trusts, executors, administrators, liquidators etc. are eligible for opening Current Account. Initial deposit and minimum balance should be maintained at Rs.1000/-. No interest will be paid in Current deposit account. As per RBI directive, the depositor should declare that no credit facility is enjoyed from any other Bank. KYC norms will be applied.

7. United Bonanza Current Account. : Any one eligible to open current account is eligible to open Bonanza Current account. The account shall be opened with minimum initial deposit of Rs.1.00 lac and minimum balance to be maintained Rs.1.00 lac.

At the option of the depositor at the time of opening of the account, the balance in the bonanza current account in excess of Rs.1.00 lac or any higher limit as may be specified by the depositor shall automatically be converted to Fixed Deposit in multiple of Rs.10, 000/- or in multiple of any higher limit as specified by the depositor without requiring the compliance of formalities for opening of Fixed Deposit account for the purpose.

8. United Gold & Platinum current account: Any one who is eligible to open current account is eligible to open accounts under the scheme. Target group for this deposit scheme are public and private limited company, corporate, whole sellers, Traders, Hospitals & Nursing Homes, Companies/Firms engaged in service industry, Partnership & proprietorship firms, individuals etc.

The scheme is operative in all branches. The minimum balance to be maintained is at par with current account. However, on maintaining certain specified quarterly average balance different add-on benefits, free cheque book, waiver of cash handling charges, waiver of processing charges in Retail Credit, free ATM card, free internet & tele banking facility etc are available in varying degree in Gold & Platinum account.

9. United Premium Current Deposit : Anyone who is eligible to open current account is eligible to open accounts under the scheme. Target group is same as United Gold & Platinum Current Deposit. Higher quarterly average balance of Rs.2.50 lac is to be maintained in this scheme. Very liberal add-on benefits, like free ATM Card, one cheque book of 100 leaves free per month, weekly free statement of account, free folio charges, withdrawal against uncleared balance capped at 60% of day's uncleared balance, free remittance in favour of UBI account and many other benefits are available under this scheme.

10. Fixed Deposit : In this account the amount remains fixed for a predetermined period of time and the interest is payable monthly, quarterly, half-yearly, yearly or on maturity as per desire of the account holder. Period option is available from 7 days to 120 months. A Fixed deposit may be accepted from one or more individuals, from a firm or company or trust or association or from a liquidator, administrator etc with nomination facility.

11. United Tax Savings Plan (FD type & RIP type) : An assessee can invest in such deposit scheme of the bank, a minimum of Rs.100/- or any amount in multiple of Rs.100/- upto a maximum of Rs.1,50,000/- and in a financial year from 1st April every year. The amount so

invested by an individual or HUF, is eligible for deduction under Section 80C of Income Tax Act, 1961.

When minor is an assessee holding PAN, deposit can be opened singly in the name of the minor operated by himself or by the guardian as per normal norms of the bank. Deposit in joint names may be issued to two adults or jointly to an adult and a minor under the mode of operation 'payable to either or survivor'. In case of deposit held in joint names, the facility of deduction from income under section 80C of Income Tax Act shall be available only to the first depositor.

Additional rate of interest for senior citizen will be available in this scheme also. Tax Saving Plan accounts can be opened either in FD type, where interest will be paid quarterly or in RIP type wherein interest will be paid on maturity only. However, interest on these term deposits shall be liable to tax under IT Act, on the basis of annual accrual or receipt.

Tax will be deducted at source in accordance with the provisions of section 194A or section 195 of the I.T. Act.

12. United Anand Deposit : - A multi unit deposit scheme with the objective to facilitate the customer in having term deposit in units and instant facility of overdraft. Target group are Individuals, sole proprietor, partnership firm, association, club, societies, Trust & companies. Initial deposit of Rs.10, 000/- and in multiple of Rs.1000/- thereof with no ceiling. Further deposit of minimum Rs.5000/- or in multiple of Rs.1000/- with no upper limit. Period of deposit is minimum 12 months & maximum 60 months.

Reverse sweep: in case of premature withdrawal, part amount in multiple of Rs.1000/- may be allowed without affecting the whole amount. Last portion of the deposit shall only be affected. A specially designed Pass book will be issued to the customer instead of deposit receipt/certificate. A current account is simultaneously opened with zero balance and cheque book facility. Maximum permissible amount of overdraft is 90% of the term deposit. In case the overdraft is availed against deposits made on different dates with variable interest rates, interest on OD will be linked to the weighted average of rate of interest paid on deposits.

13. Recurring Deposit: Individual recurring deposit can be opened only by individuals singly or jointly with other individuals. An RD can be opened in the name of the minor to be operated by his natural or legal guardian/ illiterate person/ Visually Challenged person. An RD is a term deposit account for a period of 12 months to 120 months. Fixed monthly installment of Rs.50/- and multiple thereof are accepted in this account. Interest payable will be subjected to tax deducted at source.

14. United Flexi Deposit scheme: It is one kind of Recurring Deposit with the flexibility of monthly installment. Account may be opened in the name of individuals, singly or jointly. Core monthly installment is Rs.500/-. In any particular month, monthly installment will not exceed ten times of the core amount.

15. Reinvestment Plan : Reinvestment plan is like a Fixed Deposit and formalities, target group are same as Fixed Deposit account, but unlike fixed deposit, interest which is compounded at quarterly intervals is payable on maturity along with the principal. Such certificates can be purchased for Rs.1000/- and above in multiples of Rs.500/-. The account under Reinvestment plan may be accepted for any period with complete quarter ranging from 6 months to 120 months.

(Features and eligibility of amounts in different deposit schemes may be altered at the discretion of the Bank.)